"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 जून 2005—आषाढ़ 3, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जून 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/एक/2.—श्री नंदकुमार, भा.प्र.से. (एमएच: 1989) विशेष सचिव, ग्रामोद्योग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार) का प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

रायपुर, दिनांक 6 जून 2005

क्रमांक ई-7/5/2003/1/2.—श्री एस. के. केहरी, भा. प्र. से., विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 24-5-2005 से 28-5-2005 तक (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21, 22, 23 एवं 29 मई, 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री केहरी, भा. प्र. से. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री केहरी, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केहरी, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 जून 2005

क्रमांक ई-7/9/2004/1/2.—श्री व्ही. के. कपूर, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 13-6-2005 से 17-6-2005 तक (5 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 11, 12, 18 एवं 19 जून, 2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कपूर, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री कपूर, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कपूर, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 जून 2005

क्रमांक ई-7/40/2004/1/2.—डॉ. बी. एस. अनंत, भा. प्र. से., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 1-6-2005 से 8-6-2005 तक (8 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. अनंत, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. अनंत, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अनंत, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 जून 2005

क्रमांक 1389/1048/2005/1/2.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1122/849/2005/1/2, दिनांक 12-5-2005 द्वारा श्रीमती ईशिता राय, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 24-5-2005 से 6-6-2005 तक (14 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में श्रीमती राय को दिनांक 7-6-2005 से 10-6-2005 तक (4 दिवस) का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 11 एवं 12 जून, 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती राय, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती राय, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती राय, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जातीं, तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

5. श्री नन्द कुमार, भा. प्र. से. की विशेष सचिव, ग्रामोद्योग विभाग में पदस्थापना होने के फलस्वरूप श्रीमती राय को ग्रामोद्योग विभाग के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जून 2005

फा. क्र. 4904/1225/21-ब/छ. ग./05.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री मणिमूर्ति अग्रवाल, अधिवक्ता, रायपुर जिला रायपुर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष तक की परिवीक्षा अवधि के लिए रायपुर, रायपुर जिले के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र राठौर, उप-सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मई 2005

विभागीय परीक्षा माह जुलाई, 2005 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ-9-151/दो-गृह/C5.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 25-7-2005 से रायपुर, बिलासपुर तथा बस्तर (जगदलपुर) के कलेक्टरों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार कलेक्टर्स अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्र के कलेक्टर्स को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 25-7-2005

क्रमांक (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (केवल अधिनियम तथा नियम पुस्तकों सहित).	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
59.	विद्युत संबंधी विधियां ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिए.	

सोमवार, दिनांक 25-7-2005

क्रमांक (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामले में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्नपत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए.	

मंगलवार, दिनांक 26-7-2005

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-''ए'' आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
10.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए भाग ''बी.''	
11.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए भाग-''सी.''	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए.	
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित)(नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिए.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनाएं ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए (बिना पुस्तकों के).	

मंगलवार, दिनांक 26-7-2005

(1)	(2)	(3)
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व, भू-अभिलेख, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए. (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
17.	तीसरा प्रश्नपत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए.	

बुधवार, दिनांक 27-7-2005

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
22.	प्रश्नपत्र-प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
24.	पुलिस अधिकारियों की ''व्यवहारिक परीक्षा''.	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिए (बिना पुस्तकों के)	

बुधवार, दिनांक 27-7-2005

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए.	
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के).	
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
29.	तीसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिए.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
31.	चौथा प्रश्नपत्र-सहकारी लेखा तथा लेखा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त इंसूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि./सु.) के लिए.	

वृहस्पतिवार, दिनांक 28-7-2005

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	
34.	प्रश्नपत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
35.	प्रश्नपत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
36.	प्रश्नपत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए.	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
38.	लेखा (पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिए.	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए.	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिए.	

(1)	(2)	(3)
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा न्यायिक एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
	शुक्रवार दिनांक 29-7-2005	
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिए प्रश्नपत्र भाग-1 (विना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1 .00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिए.	
	शुक्रवार दिनांक 29-7-2005	
47.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए.	
48.	प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिए.	
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ . मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (विना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिए.	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकासखण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक,क्षेत्र संयोजक, विकासखंण्ड अधिकारी के लिये, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिए.	
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्नपत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	
52.	प्रश्नपत्र-लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिए.	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
54.	तृतीय प्रश्नपत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना.पुस्तकों के) कृषि, कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए.	

(1)	(2)	(3)
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शामं 5.00 बजे तक.
57.	प्रश्नपत्र तृतीय-अ.जा. तथा आदिवासी विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
	शनिवार दिनांक 31-7-2005	
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

नोट :—

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टर कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अंतर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ-3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 19-3-99 एवं एफ-3-102/90/दो-ए (3) दिनांक 8-5-2001 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अंतर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी, उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए.

4. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हो अपने नाम उचित मार्ग द्वारा शीघ्र अपने विभागा-अध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित हैं, का उल्लेख किया जावे.

5. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77-1/ह. स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/जिलाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के कलेक्टर (सूची में दर्शाये अनुसार)को दिनांक 26-6-2005 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. वे प्रमाण-पत्र कलेक्टर कार्यालय में रखे जावेंगे.

6. परीक्षा केन्द्र कलेक्टरों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 मई 2005

क्रमांक एफ 1-31/2003/खाद्य/29.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के लिये निम्नानुसार पद संरचना की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद संख्या			टीप
			मुख्यालय	जिला कार्यालय	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	प्रबंध संचालक	भा. प्र. से.	1	0	1	
2.	महाप्रबंधक	14300-400-18300	3	0	3	
3.	कंपनी सचिव	12000-375-16500	1	0	1	
4.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	12000-375-16500	1	0	1	
5.	प्रबंधक	10000-325-15200	5	0	5	
6.	लेखाधिकारी	10000-325-15200	2	0	2	
7.	जिला प्रबंधक	8000-275-13000	4	16	20	
8.	उप व्यवसाय प्रबंधक.	8000-275-13000	1	0	1	
9.	उप लेखाधिकारी	8000-275-13000	8	0	8	
10.	सहायक व्यवसाय प्रबंधक	5500-175-9000	1	0	1	
11.	सहायक प्रबंधक	5500-175-9000	10	20	30	
12.	सहायक प्रबंधक (तकनीकी)	संविदा आधार पर	1	2	3	
13.	सहायक लेखाधिकारी	5500-175-9000	10	20	30	
14.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	5500-175-9000	1	0	1	
15.	लेखापाल	4500-125-7000	0	16	16	
16.	वरिष्ठ सहायक	4500-125-7000	15	25	40	
17.	स्टेनो ग्राफर	4500-125-7000	5	0	5	
18.	सहायक	4000-100-6000	10	60	70	
19.	स्टेनो टायपिस्ट	3050-75-3950-80-4590.	5	16	21	
20.	कम्प्यूटर टायपिस्ट/टायपिस्ट	3050-75-3950-80-4590.	0	0	0	
21.	कनिष्ठ सहायक	3050-75-3950-80-4590.	0	150	150	
22.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	संविदा आधार पर	3	63	66	
23.	वाहन चालक (LMV)	3050-75-3950-80-4590.	6	2	8	
24.	वाहन चालक (HMV)	3050-75-3950-80-4590.	0	21	21	
	वाहन चालक (HMV)	2610-60-3150-65-3540.	0	0	0	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25.	आवक-जावक सहायक	2750-70-3800-75-4400	2	0	2	
26.	भृत्य/चौकीदार	2550-55-2660-60-3200.	30	48	78	
27.	तुलावटी	2550-55-2660-60-3200.	0	29	29	
	तुलावटी	कलेक्टर दर पर	0	12	12	
28.	अर्दली	2550-55-2660-60-3200.	4	0	4	
29.	स्वीपर	कलेक्टर दर पर	1	0	1	
		कुल योग	130	500	630	

3. उक्त पदों की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित शर्तें रहेंगी :—

1. सेवा भरती नियमों में आवश्यक संशोधन कराया जाएगा.
2. स्वीकृत सभी पद स्थायी होंगे.
3. पद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नहीं भरे जाएंगे जब तक इस हेतु वित्त विभाग से पृथक से छूट प्राप्त नहीं कर ली जाए.
4. चतुर्थ श्रेणी के कोई पद आकस्मिकता (कलेक्टर दर) के पद सहित सीधी भरती से नहीं भर जाएंगे. ये पद अतिशेष कर्मचारियों से भरे जाएंगे.
5. दर्शाए गए सभी पद सही है इस बात की पुष्टि कर ली गई है.
6. कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा, नवीन नियुक्तियों के लिये विभाग द्वारा सेवा नियमों में कम्प्यूटर ज्ञान की उचित योग्यता निर्धारित कर सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा.

नोट : नवीन वाहन चालक के पदों का वेतनमान 2610-3540 होगा तथा तुलावटी के 12 पद कलेक्टर दर पर होंगे.

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 755/बजट-5/वित्त/चार/2005 दिनांक 5-5-2005 द्वारा दी गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, संयुक्त सचिव.

आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ 1-7/25-1/आजावि/2004.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय आदिमजाति क्षेत्रीय योजना इकाई रायपुर हेतु वित्त विभाग की सहमति के उपरांत पद संरचना के अंतर्गत 20 पदों की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान करता है :—

क्रमांक (1)	पदनाम (2)	वेतनमान (3)	पद संख्या (4)	रिमार्क (5)
1.	अपर संचालक	14300-18300	01	
2.	संयुक्त संचालक	12000-16500	02	
3.	उप संचालक/ सहायक आयुक्त	10000-15200	03	
4.	सहायक नियोजन अधिकारी	8000-13500	03	
5.	योजना अनुसंधान सहायक	5000-8000	02	
6.	शीघ्रलेखक ग्रेड-2	5500-9000	01	
7.	डाटा एंट्री आपरेटर	3500-5200	01	
8.	सहायक ग्रेड-2/लेखापाल	4000-6000	01	
9.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	03	
10.	भृत्य	2550-3200	03	
		योग	20	

2. उपरोक्त पदों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है;

(1) सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा.
(2) आयोजना के सभी पद अस्थायी होंगे एवं आयोजनेत्तर के पद स्थायी होंगे.
(3) पद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नहीं भरे जायेंगे जब तक इस प्रयोजन के लिए वित्त विभाग से पृथक से छूट प्राप्त न कर ली जाए.
(4) चतुर्थ श्रेणी के कोई भी पद (आकस्मिकता-कलेक्टर दर पर) सीधी भरती से नहीं भरे जायेंगे.
(5) स्वीकृति ज्ञापन में दर्शाये गए वेतनमान सही है और तत्स्थानी वेतन अनुसूची के अनुरूप हैं.
(6) स्वीकृत पदों में नई नियुक्ति नहीं की जा कर क्षेत्रीय अमले का युक्ति-युक्तकरण किया जावेगा.

3. उक्त व्यय मांग संख्या-33-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जाति, जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-001-निर्देशन एवं प्रशासन-6130-आदिमजाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं संचालनालय के अंतर्गत विकलनीय होगा.

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक-152/257/बजट-3/2001 दिनांक 21-3-2005 द्वारा प्रदान की गई है.

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ-1-7/25-1/आजावि/2004.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के अधीनस्थ सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालयों हेतु वित्त विभाग की सहमति के उपरांत पद संरचना के अंतर्गत 16 जिलों हेतु कुल 518 पदों की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान करता है :—

क्रमांक (1)	पदनाम (2)	वेतनमान (3)	पद संख्या (4)	रिमार्क (5)
1.	सहायक आयुक्त	10000-15200	16	01 पद प्रति जिला
2.	सहायक संचालक	8000-13500	11	01 पद प्रति जिला (दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, कवर्धा एवं जांजगीर-चांपा को छोड़कर).
3.	सहायक लेखा अधिकारी	5000-8000	16	01 पद प्रति जिला (अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग से).
4.	क्षेत्र संयोजक	5500-9000	16	01 पद प्रति जिला
5.	अधीक्षक	5500-9000	11	01 पद प्रति जिला (दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, कवर्धा एवं जांजगीर-चांपा को छोड़कर).
6.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5500-9000	06	रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सरगुजा एवं जशुपर.
7.	कार्यक्रम निरीक्षक	5000-8000	13	01 पद प्रति जिला (महासमुंद, कवर्धा एवं जांजगीर-चांपा को छोड़कर).
8.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	4500-7000	32	02 पद प्रति जिला
9.	सहायक ग्रेड-1	4500-7000	16	01 पद प्रति जिला
10.	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	102	सरगुजा - 14 पद बस्तर - 12 पद रायपुर एवं बिलासपुर. - 07 पद के मान से. जशपुर, कांकेर, राजनांदगांव, कोरिया, कोरबा एवं रायगढ़ - 06 पद के मान से. दंतेवाड़ा एवं दुर्ग - 05 पद के मान से. धमतरी, जांजगीर, कवर्धा एवं महासमुंद. - 04 पद के मान से.
11.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	145	सरगुजा - 15 पद बस्तर - 12 पद रायपुर एवं बिलासपुर. - 10 पद के मान से. जशपुर, कांकेर, राजनांदगांव, कोरिया, कोरबा एवं रायगढ़. - 09 पद के मान से. दंतेवाड़ा एवं दुर्ग - 08 पद के मान से. धमतरी, जांजगीर, कवर्धा एवं महासमुंद. - 07 पद के मान से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
12.	वाहन चालक	3050-4590	16	01 पद प्रति जिला	
13.	भृत्य	2550-3200	70	सरगुजा	- 07 पद
				बस्तर, रायगढ़, राजनांदगांव, रायपुर एवं बिलासपुर.	- 06 पद के मान से.
				कांकेर, कोरिया एवं दुर्ग.	- 04 पद के मान से.
				दंतेवाड़ा, जशपुर, कोरबा, धमतरी, जांजगीर, कवर्धा एवं महासमुंद.	- 03 पद के मान से.
14.	चौकीदार	2550-3200	16	01 पद प्रति जिला	
15.	फर्राश/स्वीपर	कलेक्टर दर	16	01 पद प्रति जिला	
16.	डाटा एंट्री आपरेटर	3500-5200	16	01 पद प्रति जिला	
		योग	518		

2. उपरोक्त पदों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है.

(1) सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा.

(2) आयोजना के सभी पद अस्थायी होंगे एवं आयोजनेत्तर के पद स्थायी होंगे.

(3) पद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नहीं भरे जायेंगे जब तक इस प्रयोजन के लिए वित्त विभाग से पृथक से छूट प्राप्त न कर ली जाए.

(4) चतुर्थ श्रेणी के कोई भी पद (आकस्मिकता-कलेक्टर दर पर) सीधी भरती से नहीं भरे जायेंगे.

(5) स्वीकृति ज्ञापन में दर्शाये गए वेतनमान सही है और तत्स्थानी वेतन अनुसूची के अनुरूप हैं.

(6) स्वीकृत पदों में नई नियुक्ति नहीं की जा कर क्षेत्रीय अमले का युक्ति-युक्तकरण किया जावेगा.

3. उक्त व्यय मांग संख्या-33-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जाति, अनु. जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-001-निर्देशन एवं प्रशासन-1483-जिला प्रशासन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक-152/257/बजट-3/2001 दिनांक 21-3-2005 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, उप-सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जून 2005

क्रमांक एफ 5-07/2004/42-पार्ट.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 7-5-2005 द्वारा डॉ. के. डी. परमार, प्रोफेसर (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग), इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर लेते हुये छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का कुल सचिव नियुक्त किया गया है.

2. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये राज्य शासन द्वारा डॉ. के. डी. परमार, प्रोफेसर (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग), इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर को छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संलग्न किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश त्रिपाठी, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मई 2005

महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान नियम 2005

क्रमांक 104-190/मबावि/सावि/05.—राज्य शासन, महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान नियम बनाता है, अर्थात्;—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :—**

(i) यह नियम "महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान नियम 2005" कहलायेंगे.

(ii) यह नियम दिनांक 1-4-2005 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होंगे.

(iii) यह नियम राज्य में लागू अनुदान संबंधी सभी पूर्ववर्ती नियम एवं निर्देशों को (अर्थात् जो इन नियमों के प्रभावी होने के पूर्व लागू थे) अतिष्ठित करते हुए प्रभावशील होंगे.

2. **उद्देश्य :—**

महिला एवं बच्चों के विकास तथा कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने, इस [illegible] में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देने तथा उन्हें विभिन्न महिला एवं बाल कल्याण की गतिविधियों के संचालन में सहयोग प्रदान [illegible]/आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया विनियमन के लिए यह नियम बनाये गये हैं.

3. **परिभाषाएं :—**
इन नियमों में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(i) "राज्य शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग;
(ii) "सक्षम अधिकारी" से अभिप्रेत है, यथा संदर्भ, जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/जिला कलेक्टर/संचालक/आयुक्त महिला एवं बाल विकास/सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग;
(iii) "जिला अधिकारी" से अभिप्रेत है, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी जिसे उसकी क्षेत्राधिकारिता के भीतर शासन द्वारा इस नियम के प्रयोजन के लिए समय-समय पर प्राधिकृत किया जाये और इसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सम्मिलित होंगे;
(iv) "संगठन" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन;
(v) "अनुदान सहायता" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता;
(vi) "इकरार नामा" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया बंधन पत्र;
(vii) "संस्था" से अभिप्रेत है, स्वैच्छिक संगठन द्वारा संचालित संस्था;
(viii) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है, अनुदान सहायता प्राप्त संगठन में कार्यरत कर्मचारी;

4. **विभागीय मान्यता :—**

संगठन को शासन से अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए विभागीय मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा. विभागीय मान्यता के लिए किसी स्वैच्छिक संगठन को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा :—

(i) संगठन महिला एवं बाल कल्याण/विकास के क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए.
(ii) संगठन विभागीय मान्यता हेतु आवेदन की तिथि से पूर्व कम से कम तीन वर्ष तक निरंतर अस्तित्व में रहा हो. अस्तित्व से तात्पर्य कंडिका 4 (iii) में अंकित अधिनियमों के तहत पंजीयन तिथि से है.
(iii) संगठन को समिति पंजीयन अधिनियम 1860 अथवा छत्तीसगढ़ सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) अथवा छत्तीसगढ़ जनन्यास अधिनियम 1951 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन पंजीकृत होना चाहिए, जब तक कि राज्य शासन के किसी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा छूट न दी गई हो.
(iv) मान्यता प्राप्त संगठन अथवा ऐसे संगठन जो मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं, जिनकी मान्यता का नवीनीकरण हो रहा है महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा सूचित करने पर अथवा बिना सूचित किये ही निरीक्षण के लिए और आवश्यक अभिलेख या पंजियां प्रस्तुत करने के लिए सहमत होना चाहिए.

5. **विभागीय मान्यता के लिए आवेदन प्रक्रिया एवं मान्यता दिया जाना :—**

(i) संगठन संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-1) में आवेदन पत्र आवश्यक सह अभिलेखों (परिशिष्ट-2) के साथ प्रस्तुत करेगा.
(ii) जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी संगठन का निरीक्षण कर स्पष्ट अनुशंसा एवं जिला कलेक्टर के अभिमत सहित प्रस्ताव आयुक्त महिला एवं बाल विकास को प्रेषित करेंगे.
(iii) संचालनालय स्तर पर विभागीय मान्यता के प्रकरणों के परीक्षण हेतु स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जायेगी. समिति द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत मान्यता दिये जाने योग्य प्रकरणों को अनुशंसा सहित सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा.
(iv) विभागीय मान्यता प्रदान किये जाने के लिए आयुक्त/संचालक महिला एवं बाल विकास सक्षम अधिकारी होंगे.

6. **संगठन को मान्यता देना और उसका स्थिर रखना निम्नलिखित तथ्यों/मुद्दों पर निर्भर करेगा :—**

(i) संगठन के प्रभावी सेवा कार्य की व्यापकता, संगठन द्वारा रखे गये कर्मचारी वर्ग तथा इसके सीधे और तात्कालिक नियंत्रण में रहने वाले हितग्राहियों का अनुशासन.

(ii) संगठन के वित्तीय व्यवहार के लेखे की नियमितता तथा विश्वसनीयता.

(iii) विवरणों व प्रतिवेदनों की मांगों तथा इस विभाग के अधिकारियों द्वारा जारी किये गये अनुदेशों की उचित परिशुद्धता तथा शीघ्रता से पालन तथा विभाग द्वारा निर्धारित पंजियों तथा अभिलेखों का उचित रीति से संधारण.

(iv) अपने नियमों/विनियमों और संविधान का विहित रीति से अनुसरण/पालन करना.

(v) संगठन द्वारा अपना वार्षिक प्रतिवेदन, ऑडिट रिपोर्ट एवं अद्यतन कार्यकारिणी की सूची प्रतिवर्ष 30 जून तक विभाग के जिलाधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना.

(vi) संगठन द्वारा महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में नियमित रूप से कार्यरत होना.

7. मान्यता स्थगित एवं निरस्त किया जाना :—

आयुक्त महिला एवं बाल विकास को विभागीय मान्यता देने, स्थगित करने तथा निरस्त करने का अधिकार होगा. संगठन की मान्यता निरस्त किये जाने के पूर्व संगठन को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जायेगा. आयुक्त महिला एवं बाल विकास के आदेश के विरुद्ध राज्य शासन को अपील की जा सकेगी. इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा.

8. सहायता अनुदान के लिए पात्रता :—

(i) महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत संगठन जो कि आयुक्त/संचालक महिला एवं बाल विकास द्वारा मान्यता प्राप्त हो.

(ii) समिति पंजीयन अधिनियम 1860 अथवा छत्तीसगढ़ सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) अथवा छत्तीसगढ़ जनन्यास अधिनियम 1951 अथवा तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के अधीन पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को ही अनुदान सहायता स्वीकृत की जावेगी, जब तक कि राज्य शासन के किसी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा इस शर्त में छूट न दी गई हो.

(iii) संगठन आवेदन की तिथि से पूर्व कम से कम तीन वर्ष तक निरंतर अस्तित्व में रहा हो. अस्तित्व से तात्पर्य नियम 8 (ii) में अंकित अधिनियमों के तहत पंजीयन तिथि से है.

(iv) जिन गतिविधियों के संचालन हेतु संगठन द्वारा अनुदान सहायता की मांग की जा रही है उन गतिविधियों को संस्था पिछले दो वर्षों से संचालित कर रही हो.

पूर्व से अनुदान प्राप्त संगठन को गतिविधि के विस्तार/नवीन गतिविधियों के लिए शासन द्वारा इस शर्त को शिथिल किया जा सकेगा यदि शासन संतुष्ट है कि पूर्व गतिविधि सफलता के साथ संचालित की जा रही है और उसी भांति विस्तार के पश्चात् भी अथवा नई गतिविधि संचालित करने हेतु संगठन सक्षम हैं.

(v) स्वैच्छिक संगठन राज्य शासन के अन्य किसी विभाग/केन्द्र शासन/अन्य स्रोत से यदि किसी उद्देश्य/गतिविधि हेतु अनुदान सहायता प्राप्त कर रहा है तो उन्हें उस उद्देश्य/गतिविधि के लिए इन नियमों के तहत अनुदान सहायता प्राप्त नहीं हो सकेगी.

(vi) राज्य शासन सामान्य/विशेष आदेश द्वारा किसी भी संस्था/संगठन को अनुदान नियमों में छूट दे सकेगा और इस छूट के आधार पर अनुदान सहायता दे सकेगा.

(vii) पंचायत राज्य संस्था/स्थानीय निकाय अनुदान नियम 8 के उप नियम (i), (ii), (iii) एवं (iv) की शर्तों से मुक्त रहेंगे

(viii) ऐसी किसी भी संगठन को कोई अनुदान सहायता स्वीकृत नहीं की जायेगी, जिसकी आय समस्त स्रोतों से उतनी हो जो कि राज्य शासन के मतानुसार शासकीय सहायता प्राप्त किए बिना-अपनी गतिविधि/प्रवृत्ति को निरंतर रखने में असमर्थ हो.

(ix) उस संगठन को जो दलगत राजनीति, पृथकतावाद या सांप्रदायिक आधार पर संगठित किया गया हो, अनुदान नहीं दिया जायेगा.

(x) मान्यता स्थगित होने की अवधि के दौरान अनुदानों की चुकौती भी स्थगित रहेगी.

9. सहायक अनुदान स्वीकृति, गतिविधि एवं अनुदान की सीमाएं :—

(i) निम्नलिखित सभी या किसी एक उद्देश्य के लिए सहायक अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा :—

01. अनावर्ती अनुदान.

02. आवर्ती अनुदान—

क. वर्तमान गतिविधियों की व्यवस्था के लिए.
ख. नई गतिविधि प्रारंभ करने के लिए.
ग. वर्तमान गतिविधि के विस्तार के लिए.

(ii) गतिविधि एवं अनुदान की सीमाएं :—

संगठन को निर्धारित आवर्ती लागत (नियम में संबंधित गतिविधि के लिए प्रावधानित) का 75 प्रतिशत एवं अनावर्ती लागत (नियम में संबंधित कार्य/गतिविधि के लिए प्रावधानित) का 90 प्रतिशत तक अनुदान सहायता के रूप में स्वीकृत किया जा सकेगा.

किन्हीं विशिष्ट एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में निर्दिष्ट गतिविधियों के लिए राज्य शासन चाहे तो इसमें छूट प्रदान कर सकेगा.

(iii) अनुमानित अनावर्ती लागत की 25% तथा अनुमानित आवर्ती लागत की 10% राशि संगठन को :—

अ. स्थानीय चंदा व दान.
ब. संगठन की अन्य प्राप्तियां.
स. पंचायत/स्थानीय निकाय तथा अन्य प्रतिष्ठानों का अंशदान प्राप्त करने पर, अनुदान दिया जा सकेगा, जिसके लिए प्रमाण विवरण प्रस्तुत करना होगा.

(iv). अनुदान निम्नलिखित गतिविधियों के लिए दिया जा सकेगा :—

अ. बाल कल्याण गतिविधियों हेतु अनुदान—बालबाड़ी सह दिवस देखभाल केन्द्र, झूलाघर, अनाथ/निराश्रित बच्चों के लिए बाल गृह, बाल विकास केन्द्र, बच्चों के कल्याण/विकास के लिए सृजनात्मक कार्य आदि.
विवरण परिशिष्ट-8 से 12 अनुसार है.

ब. महिला कल्याण गतिविधियों हेतु अनुदान—शार्टहैण्ड/टायपिंग प्रशिक्षण, हेल्प लाईन सह परामर्श केन्द्र, निराश्रित महिला/मानसिक विक्षिप्त महिलाओं के लिए महिला गृह, महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिलाओं के कल्याण/विकास के लिए सृजनात्मक कार्य, प्रदेश के बाहर स्थित उत्कृष्ट प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को प्रशिक्षण आदि.
विवरण परिशिष्ट-13 से 18 अनुसार है.

स. विविध अनुदान—महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य, अन्य विविध कार्य/गतिविधि जो उपरोक्त गतिविधियों में शामिल न हो.
विवरण परिशिष्ट-19 अनुसार है.

उपरोक्तानुसार गतिविधियों के लिए परिशिष्ट में दर्शित वित्तीय मापदंड अनुदान की अधिकतम सीमा दर्शाते हैं किन्तु यदि किसी परियोजना की वास्तविक लागत उपरोक्त वित्तीय मापदंडों से कम है तो वास्तविक लागत अनुसार अनुदान देय होगा.

स्वैच्छिक संगठन को एक वर्ष में अधिकतम दो गतिविधियों तथा प्रत्येक गतिविधि के लिए अधिकतम दो इकाई जो कि पृथक-पृथक स्थानों पर संचालित हो, के लिए अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा, जब तक की राज्य शासन द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में इस शर्त में छूट न दी गई हो.

10. अनुदान राशि एवं स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी :—

छत्तीसगढ़ शासन, वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका भाग 1 एवं 2 में प्रावधान अनुसार सक्षम अधिकारी उनको प्रदत्त वित्तीय अधिकारों की सीमा अंतर्गत अनुदान स्वीकृति की कार्यवाही कर सकेंगे.

वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका 1995, भाग-1, खण्ड-1, क्रमांक-42 के अनुसार

क्र.	विवरण	सक्षम अधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
42	शैक्षणिक, तकनीकी अथवा खेल संस्थाओं, अशासकीय संगठनों तथा स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायक अनुदान स्वीकृति के अधिकार.	प्रशासकीय विभाग विभाग प्रमुख	प्रतिवर्ष प्रति संस्था रुपये 5 लाख तक. प्रतिवर्ष प्रति संस्था रुपये 3 लाख तक.	पिछलेवर्ष का उपयोगिता प्रमाण पत्र, पिछले वर्ष से पूर्व वर्ष के लेखा का लेखा परीक्षित विवरण उपलब्ध कराये तथा सहायक अनुदान की विभागीय नियमों में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति होने पर.

वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका 1995, भाग-2, महिला एवं बाल विकास विभाग क्रमांक-18 के अनुसार

क्र.	विवरण	सक्षम अधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
18	अशासकीय संस्थाओं को सहायक अनुदान.	1. आयुक्त 2. जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी.	पूर्ण शक्तियां रु. एक लाख तक	1. बशर्ते विभाग के समस्त सहायक अनुदान नियमों का पालन किया गया है. 2. ऐसी संस्थाओं को पिछले दो वर्षों के लिए सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया था. 3. पिछले वर्ष का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार छत्तीसगढ़/विभाग/विभाग प्रमुख/कलेक्टर को प्रस्तुत किया जा चुका है. 4. पिछले वर्ष का परीक्षित लेखा प्रस्तुत किया जा चुका है. 5. उनका कार्य अच्छा पाया गया तथा वे आगे निरंतर कार्य करने के इच्छुक हों. 6. कोई नया भार नई गतिविधि, अमला इत्यादि के रूप में शामिल न हो.

सक्षम अधिकारी को प्रदत्त वित्तीय अधिकार की सीमा शासन (वित्त विभाग) द्वारा वित्तीय अधिकारों में समय-समय पर किये जाने वाले परिवर्तनों के अधीन होगी.

11. **अनुदान सहायता हेतु आवेदन एवं अनुदान जारी करने की प्रक्रिया :—**

अ. नवीन संगठन के प्रस्ताव/नवीन गतिविधि हेतु अनुदान—

(i) अनुदान सहायता प्राप्त करने के इच्छुक नवीन संगठन/नवीन गतिविधि प्रारंभ करने के इच्छुक संगठन को विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार कर निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-3) में आवेदन पत्र एवं आवश्यक अभिलेखों सहित (परिशिष्ट-4) जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा.

(ii) जिलाधिकारी संगठन का विस्तृत निरीक्षण कर स्वीकृति योग्य अनुदान सहायता प्रस्ताव अपनी स्पष्ट अनुशंसा, निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कलेक्टर के अभिमत/अनुशंसा सहित, आयुक्त/संचालक महिला एवं बाल विकास को भेजेंगे.

(iii) जिला अधिकारी/आयुक्त/संचालक महिला एवं बाल विकास, प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण के दौरान कोई भी अतिरिक्त जानकारी जो कि आवश्यक समझी जावें, मंगवा सकेंगे.

(iv) आयुक्त/संचालक महिला एवं बाल विकास, प्राप्त अनुदान सहायता प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत, प्रस्ताव स्वीकृति संबंधी कार्यवाही हेतु राज्य शासन को प्रेषित करेंगे.

(v) स्वीकृतकर्ता अधिकारी अनुदान सहायता स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करेगा, अनुदान सहायता में कटौती करने के आदेश दे सकेगा अथवा प्रस्ताव अस्वीकृत कर सकेगा. जिसके कारण लिपिबद्ध किये जायेंगे.

(vi) नवीन संगठन के प्रस्ताव/नवीन गतिविधियों के संचालन के संबंध में अनुदान सहायता की स्वीकृति प्रथम वर्ष में राज्य शासन द्वारा दी जायेगी किन्तु अगले वर्षों में नवीनीकरण के मामले में संबंधित सक्षम अधिकारी यथा स्थान आयुक्त/जिलाधिकारी द्वारा उनको प्रदत्त वित्तीय अधिकार की सीमा के भीतर अनुदान स्वीकृति की कार्यवाही की जायगी.

(vii) स्वैच्छिक संगठन परिशिष्ट-7 अनुसार इस आशय का करारनामा निष्पादित करेगा कि अनुदान जिस प्रयोजन के लिए दिया गया है उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जायेगा तथा संगठन द्वारा अनुदान नियमों का पालन किया जायेगा अन्यथा प्रदत्त अनुदान सहायता राशि की वसूली के लिए राज्य शासन को पूर्ण अधिकार होगा.

ब. अनुदान सहायता नवीनीकरण प्रस्ताव :—

(i) अनुदान सहायता नवीनीकरण कराने का इच्छुक संगठन निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-3) में आवेदन-पत्र पिछले वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण, मान्य चार्टर्ड एकाउंटेंट से ऑडिट कराकर ऑडिट रिपोर्ट की मूलप्रति तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों (परिशिष्ट-4) के साथ संबंधित जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा.

(ii) प्रस्ताव के साथ संगठन द्वारा उक्त गतिविधि को निरंतर रखे जाने बावत् आवश्यक निरंतरता प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा.

(iii) जिलाधिकारी संगठन का विस्तृत निरीक्षण कर स्वीकृति योग्य अनुदान सहायता प्रस्ताव जो उनके वित्तीय अधिकारों की सीमा के भीतर हो, को स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करेंगे अन्यथा अपनी स्पष्ट अनुशंसा, निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कलेक्टर के अभिमत/अनुशंसा सहित, प्रस्ताव आयुक्त/संचालक महिला एवं बाल विकास को भेजेंगे.

(iv) जिला अधिकारी के वित्तीय अधिकारों की सीमा अंतर्गत स्वीकृति योग्य अनुदान सहायता प्रस्ताव उनकी स्पष्ट अनुशंसा, निरीक्षण प्रतिवेदन सहित जिला पंचायत की संबंधित स्थाई समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे.

(v) जिला पंचायत की स्थाई समिति, संगठन द्वारा महिला एवं बाल कल्याण हेतु संचालित किसी गतिविधि के लिए उचित छानबीन के बाद संतुष्ट होने पर अनुदान सहायता स्वीकृत कर सकेगी अथवा अनुदान सहायता में कटौती करने के आदेश दे सकेगी अथवा प्रस्ताव अस्वीकृत कर सकेगी, जिसके कारण लिपिबद्ध किये जायेंगे.

(vi) जिला पंचायत की संबंधित स्थाई समिति से स्वीकृति उपरांत, अनुदान स्वीकृति आदेश जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा.

(vii) आयुक्त/संचालक महिला एवं बाल विकास, उनको प्रदत्त वित्तीय अधिकारों की सीमा अंतर्गत प्राप्त अनुदान सहायता प्रस्ताव की स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करेंगे अनुदान सहायता में कटौती करने के आदेश दे सकेगा अथवा प्रस्ताव अस्वीकृत कर सकेगा. जिसके कारण लिपिबद्ध किये जायेंगे.

(viii) जिला अधिकारी/आयुक्त/संचालक महिला एवं बाल विकास, प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण के दौरान कोई भी अतिरिक्त जानकारी जो कि आवश्यक समझी जावें, मंगवा सकेंगे.

स. अनुदान जारी करने की प्रक्रिया :—

(i) आवर्ती अनुदानों को अग्रिम रूप से दो अर्धवार्षिक किस्तों में चुकता किया जायेगा.

(ii) सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर निरंतरता वाले प्रकरणों में विगत वर्ष के कुल देय अनुदान का 50 प्रतिशत प्रथम किस्त की राशि के रूप में प्रतिवर्ष माह जुलाई तक स्वीकृत/जारी किया जायेगा.

(iii) संशोधित अनुमानों के विवरण जिसमें प्रथम (पहले) छः माहों में हुआ वास्तविक व्यय तथा बकाया छः माहों के संभावित व्यय का तर्क संगत, उचित और सही अनुमान होगा, संगठन द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर, पूर्व में स्वीकृत राशियों में बचत राशि का समायोजन करते हुए द्वितीय किस्त नवंबर माह के अंत तक स्वीकृत/जारी की जायेगी.

(iv) ऐसा कार्यक्रम/गतिविधि जो एक वर्ष से कम अवधि के लिए संचालित किये जाने हो के लिए प्रस्तावित देय अनुदान का 50 प्रतिशत अग्रिम रूप से प्रथम किस्त के रूप में संचालन प्रारंभ होने पर तथा शेष 50 प्रतिशत अनुदान अग्रिम रूप से द्वितीय किस्त के रूप में कार्यक्रम/गतिविधि संचालन अवधि के मध्य में प्रदान किया जा सकेगा.

(v) अनुदान स्वीकृतिकर्त्ता प्राधिकारी, स्वीकृत अनुदान के प्रकरण में मान्य व्यय की मदों के संबंध में संगठन को सूचित करेगा.

(vi) संगठन द्वारा, स्वीकृत अनुदान अनुसार देयक जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को उनके प्रतिहस्ताक्षर तथा सत्यापित करने की प्राधिकृति के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे.

(vii) जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला बाल विकास अधिकारी दूसरी किस्त के देयक में संशोधित अनुमानों के परीक्षण पश्चात् स्वीकृत अनुदान की ऐसी रकम जो स्पष्ट रूप से मान्य किये जाने लायक नहीं समझी गई, घटाकर प्रति हस्ताक्षर करेगा.

(viii) प्रत्येक वर्ष पहली मई को अनुदान प्राप्त संगठन द्वारा लेखा विवरण जो मान्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षण किये गये हों के साथ पूर्व वर्ष का वित्तीय विवरण जिला अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा. आयुक्त/राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान के प्रकरणों में यह विवरण जिला अधिकारी के माध्यम से आयुक्त/राज्य शासन को प्रेषित किया जायेगा.

(ix) पूर्व वर्ष के अनर्जित अनुदान के संदर्भ में वित्तीय विवरण जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा दिया जायेगा, तथा उनके द्वारा पूर्व वर्ष में अनर्जित अनुदान की वसूली का आदेश दिया जावेगा एवं वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी.

(x) स्वीकृत अनावर्ती अनुदानों के देयकों को जिन पर जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, के प्रतिहस्ताक्षर होंगे, खरीदी गई सामग्री की सूची तथा खरीदी प्रमाण व रसीदों के साथ प्रस्तुत किया जावेगा तत्पश्चात् स्वीकृत अनावर्ती अनुदान एकमुश्त देय होगा. संगठन द्वारा सामग्री क्रय के लिए छत्तीसगढ़ शासन के भण्डार क्रय नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा.

(xi) अनुदान सहायता जिस प्रयोजन के लिए स्वीकृत की गई है उसी प्रयोजन के लिए उपयोग में ली जायेगी. संगठन को प्रदत्त अनुदान सहायता राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र आगामी वर्ष में प्रथम किस्त की स्वीकृति से पूर्व स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी तथा महालेखाकार को प्रस्तुत करना होगा.

(xii) अनुदान सहायता जिस वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत की गई है उसका उपयोग निर्धारित प्रयोजन के लिए उसी वित्तीय वर्ष में होना चाहिए. संगठन द्वारा अनुदान सहायता में से जो राशि अव्ययीत रह जाये उसे विभाग के जमा शीर्ष में 31 मार्च के पूर्व चालान से जमा कर स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी को सूचित किया जाना होगा.

(xiii) संगठन द्वारा पिछले वर्ष प्राप्त अनुदान सहायता से अधिक राशि की मांग किये जाने पर ऐसी अतिरिक्त मांग का सावधानी से परीक्षण किया जायेगा. मांग का पूर्ण औचित्य होने पर बढ़ी हुई राशि की मांग का प्रस्ताव जिला अधिकारी अपनी अनुशंसा सहित आयुक्त/संचालक महिला एवं बाल विकास को भेजेंगे. आयुक्त/संचालक महिला एवं बाल विकास की स्वीकृति के पश्चात् ही अधिक प्रस्तावित राशि का समावेश अगले वर्ष के प्रस्ताव में किया जा सकेगा.

(xiv) नियम में प्रावधानित स्वीकृत योग्य राशि से अधिक की मांग मान्य नहीं की जायेगी. स्वीकृति की प्रत्याशा में निर्धारित मापदंड से अधिक व्यय की गई राशि मान्य नहीं होगी.

12. निरीक्षण/अंकेक्षण :—

(i) संगठन के लेखे कार्यालय महालेखाकार, छत्तीसगढ़ के अंकेक्षण दल या विभागीय अंकेक्षण दल या राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किसी भी एजेन्सी द्वारा लेखा परीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे.

(ii) प्रत्येक अनुदान सहायता प्राप्त संगठन का निरीक्षण एवं अंकेक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में कम से कम चार बार (प्रत्येक त्रैमास में एक बार) किया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदत्त अनुदान सहायता का सही/अनुमोदित प्रयोजन हेतु उपयोग हुआ है.

(iii) चार सामान्य निरीक्षणों के अलावा जिलाधिकारी उनके क्षेत्रांतर्गत संचालित गतिविधियों का निरीक्षण अनिवार्यत: वर्ष में कम से कम एक बार माह अप्रैल में करेंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन गतिविधियों के लिए संगठन को अनुदान सहायता दी गई है उसी प्रयोजनार्थ राशि का सदुपयोग किया गया है.

13. विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के पंचायत राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों के अधिकार :—

(i) त्रिस्तरीय पंचायत राज्य संस्थाओं को प्रत्यायोजित अधिकारों के तहत विभाग से अनुदान प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों द्वारा जिले में संचालित संस्थाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों का रोस्टर अनुसार/आकस्मिक निरीक्षण जिला पंचायत/जनपद पंचायत की संबंधित स्थाई समिति द्वारा किया जा सकेगा.

(ii) निरीक्षण प्रतिवेदन जिला पंचायत द्वारा कलेक्टर को तथा जनपद पंचायत द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को कार्यवाही हेतु भेजा जावेगा.

(iii) इस निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जिलाध्यक्ष/जिला अधिकारी यथाशीघ्र परीक्षण कर, की जाने वाली कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे व की गई कार्यवाही से संबंधित जिला/जनपद पंचायत को अवगत करायेंगे.

(iv) यदि निरीक्षण के आधार पर किसी अनुदान प्राप्त कर रहे स्वैच्छिक संगठन का कार्य संतोषप्रद नहीं होना पाया जाता है तथा संगठन के विरुद्ध अनुदान की राशि रोकने, अनुदान की वसूली या अन्य कोई कार्यवाही आवश्यक हो तो उपरोक्त कार्यवाही करने के पहले संबंधित संगठन को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जायेगा.

(v) प्रकरण का परीक्षण जिला स्तर पर गठित एक संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा. इस समिति में क्रमश: जिले में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों व जिला/जनपद पंचायतों के संबंधित स्थाई समिति के 3-3 प्रतिनिधि होंगे. इस समिति द्वारा संगठन के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में निर्णय लिया जावेगा. ऐसा निर्णय लिये जाने के पूर्व समिति द्वारा संबंधित स्वैच्छिक संगठन को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जायेगा.

(vi) समिति में पंचायतों के प्रतिनिधि का चयन जिला पंचायत द्वारा किया जायेगा तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि का मनोनयन जिलाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा.

(vii) जिला/जनपद पंचायत द्वारा शासन से अनुदान प्राप्त किसी भी संगठन द्वारा संचालित गतिविधि/संस्था के निरीक्षण के समय निम्नलिखित सावधानियां लिया जाना आवश्यक होगा :—

(i) निरीक्षण सामान्यत: संगठन के प्रमुख की उपस्थिति में किया जाना चाहिए और इसके लिए उन्हें पूर्व सूचना दी जानी चाहिए.

(ii) जिन संस्थाओं में बालिकाएं/महिलाएं अंत:वासी हो उनका निरीक्षण सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य नहीं किया जाना चाहिए. ऐसी संस्था का निरीक्षण अनिवार्यत: संस्था प्रमुख अथवा किसी महिला अधिकारी/शिक्षक की उपस्थिति में ही किया जाना चाहिए.

(iii) निरीक्षण का उद्देश्य संस्था/गतिविधि के संचालन/प्रबंधन में सुधार का होना चाहिए.

(iv) निरीक्षणकर्त्ता को उनके निरीक्षण की टीप संगठन अथवा संस्था की निरीक्षण पंजी में अनिवार्यत: दर्ज करना चाहिए.

(viii) जिला/जनपद पंचायतों द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही की जानकारी एक माह के अंदर जिला/जनपद पंचायत की बैठक में आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जायेगी.

(ix) विभाग से अनुदानित स्वैच्छिक संगठनों द्वारा नगरीय क्षेत्रों में संचालित संस्थाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नगर निगम/नगरपालिका द्वारा किया जा सकेगा. इसमें यथा स्थिति महापौर/उपमहापौर/आयुक्त/नगर निगम द्वारा अधिकृत सदस्य तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगरपालिका द्वारा अधिकृत सदस्य शामिल है.

(x) उपरोक्त पदाधिकारियों द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं गुणात्मक विकास हेतु संगठन के अधिकारियों/कर्मचारियों को मार्गदर्शन दिया जा सकेगा. इसके साथ ही संगठन द्वारा प्राप्त अनुदान का पर्याप्त एवं समुचित उपयोग योजना के उद्देश्य के लिए किया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा.

14. स्वीकृत अनुदान निरस्त करना/जारी अनुदान वसूल किया जाना/अनुदान में कटौती किया जाना :—

(i) यदि अनुदान सहायता प्राप्त संगठन द्वारा संचालित किसी गतिविधि के संबंध में कभी भी शासन के ध्यान में यह बात आये कि संबंधित गतिविधि किसी क्षेत्र विषेष में अनुपयुक्त या अनावश्यक है तो अनुदान सहायता रोक दी जायेगी. यदि यह पाया जाता है कि संगठन द्वारा अनुदान का सदुपयोग नहीं किया गया है और अनुदान की राशि या उसके कि... भाग को ऐसे प्रयोजन पर खर्च किया गया है जो नियमानुसार नहीं है तो अनुदान सहायता रोक दी जायेगी तथा पूर्व में प्रदत्त अनुदान सहायता निरस्त करते हुए वसूली की कार्यवाही की जावेगी.

(ii) अगर यह बात ध्यान में आये कि संगठन द्वारा संचालित गतिविधियों/कार्यकलाप से किसी जाति विशेष या संप्रदाय विशेष की भावना को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है तो सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित गतिविधि के लिए अनुदान सहायता मान्य नहीं की जावेगी अथवा अनुदान सहायता रोक दी जावेगी अथवा पूर्व में प्रदत्त अनुदान सहायता निरस्त करते हुए वसूली की कार्यवाही की जावेगी.

(iii) जब कभी कोई अनुदान सहायता प्राप्त संगठन इन नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के संबंध में उसके कार्य संपादन पर, अनुदान स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी का समाधान न कर पाये तो वह उक्त संगठन के प्रबंधक वर्ग को वर्णित खामी/त्रुटि को दूर/ठीक करने के लिए एक निर्धारित समय के भीतर नोटिस देगा और संगठन द्वारा नोटिस का पालन/समाधान न किये जाने पर अनुदान स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी अनुदान रोक सकेगा या उसकी राशि कम कर सकेगा या पूर्व में प्रदत्त अनुदान सहायता निरस्त करते हुए दी गई राशि की वसूली का आदेश दे सकेगा.

(iv) छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के निर्देशों तथा आदेशों का पालन न करने पर तथा अक्षम्य व असंतोषजनक कार्य के लिए अनुदान सहायता रोकी जा सकेगी/अनुदानों में कटौती की जा सकेगी.

(v) अधिक चुकौनी अथवा अनुदानों में कटौती अथवा अन्य दायित्वों की वसूली या तो नगद की जायेगी या अनुवर्ती देयकों से कटौती द्वारा होगी.

(vi) अनुदानों की अधिक चुकौनी और अमान्य अनुदानों के कारण हुये दायित्वों की वसूली उन संगठनों से भी होगी, जिनकी मान्यता निरस्त कर दी गई है तथा ऐसे दायित्व बकाया भूमि राजस्व की तरह वसूल किये जा सकेंगे.

(vii) यदि संगठन समाप्त हो जाये/संगठन की मान्यता निरस्त कर दी जाये या अनुदान राशि से क्रय सामग्री उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाता जिसके लिए यह खरीदी गई है तो, जिला अधिकारी को इन परिसंपत्तियों को अधिपत्य में लेने का अधिकार होगा.

(viii) स्वैच्छिक संगठन समस्त अस्तियों का जो राज्य शासन के पूर्णत: या आंशिक अनुदान से अर्जित की गई हो का अभिलेख रखेगा. ऐसी अस्तियां राज्य शासन की पूर्व अनुमति बिना उस कार्य के अलावा जिसके लिए अनुदान दिया गया है न तो उपयोग की जायेगी, न विक्रय की जायेगी और न बंधक रखी जायेगी.

15. सहायक अनुदान के लिए शर्तें :—

(i) प्रत्येक संगठन द्वारा अपनी कार्यकारणी समिति की बैठक में विभाग के जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाना अनिवार्य होगा.

(ii) संगठन द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति में राज्य शासन के तत्समय प्रवृत्त भर्ती नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा. संगठन द्वारा संचालित संस्था में पदस्थ कर्मचारी, संगठन द्वारा नियुक्त कर्मचारी होंगे. कर्मचारियों की सेवा के संबंध में समस्त नियमों व औपचारिकताओं का पालन किया जाना संगठन की जिम्मेदारी होगी.

(iii) अनुदान सहायता प्राप्त संगठन के कर्मचारियों को अनुशासित व सदाचारी रहना होगा.

(iv) संगठन का कोई भी कर्मचारी किसी राजनैतिक दल या किसी ऐसे संगठन का जो राजनीतिक गतिविधि में संलग्न हो, का न तो सदस्य होगा और न ही उससे अन्यथा संबद्ध होगा. यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता कि कोई आंदोलन या गतिविधि इस नियम के क्षेत्र के भीतर आती है या नहीं, तो उस पर राज्य शासन द्वारा [illegible] निर्णय अंतिम होगा.

(v) अनुदान सहायता प्राप्त संगठन के कर्मचारियों को अनुदानित गतिविधि के लिए स्वीकृत मानदेय से अधिक राशि का भुगतान स्वीकृत योग्य नहीं होगा.

(vi) अनुदान सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाले संगठन को एक प्रतिनिधि का नाम विनिर्दिष्ट करना होगा जो उस संगठन की ओर से अनुदान देयकों, इकरारनामा आदि में हस्ताक्षर करेगा. संगठन ऐसे प्रतिनिधि का नाम व पता स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी को सूचित करेगा.

(vii) अनुदान सहायता से संचालित संस्थाओं में परामर्शदात्री समिति का गठन किया जायेगा जिसमें जिला कलेक्टर, जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा संस्था/कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप संबंधित विभाग के प्रतिनिधि अनिवार्यत: शामिल किये जायेंगे.

15. **सामान्य शर्तें :—**

(i) कोई भी संगठन अधिकार के रूप में अनुदान सहायता का दावा नहीं कर सकेगा. इन नियमों के अंतर्गत अनुदान सहायता (सामान्य/विशेष प्रयोजन) की स्वीकृति के लिए यह शर्त पूर्व निहित रहेंगी कि संबंधित मदों के लिए प्रदत्त अनुदान सहायता के अतिरिक्त लगने वाली राशि की व्यवस्था संबंधित स्वैच्छिक संगठन को स्वयं करना होगा.

(ii) आवश्यकता एवं उपलब्ध बजट को ध्यान में रखते हुए अनुदान सहायता उन स्वैच्छिक संगठनों को दी जायेगी जो महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत हो.

(iii) संगठन द्वारा जाति, धर्म, वर्ग विशेष आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा.

(iv) संबंधित संगठन अनुदान प्राप्त होने के पश्चात् यदि अपनी गतिविधियां बंद करता है तो समग्र धनराशि उन्हें वापिस करनी होगी. यदि संगठन अपनी गतिविधियां कतिपय दिवसों तक चलाकर बंद करेगी तो उतनी अवधि का व्यय संगणित कर शेष राशि शासकीय कोषालय में जमा करनी होगी.

(v) संगठन को प्रदत्त अनुदान सहायता इन नियमों, इनमें विनिर्दिष्ट शर्तों और साथ ही साथ आगे की ऐसी शर्तों जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये, के अधीन मान्य होगी.

(vi) यदि इन नियमों के उपबंधों को लागू करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य शासन उपयुक्त आदेश द्वारा यह कठिनाई दूर कर सकेगा.

(vii) इन नियमों के अंतर्गत किसी नियम या उपनियम की व्याख्या के लिए राज्य शासन का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों के लिए बंधनकारी होगा.

17. **अपील :—**

जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा अनुदान सहायता अमान्य किये जाने अथवा अनुदान सहायता रोके जाने, अनुदान सहायता में कटौती किये जाने, पूर्व में प्रदत्त अनुदान सहायता निरस्त करते हुए वसूली आदेश दिये जाने के विरुद्ध आयुक्त महिला एवं बाल विकास को अपील की जा सकेगी. इसी प्रकार आयुक्त महिला एवं बाल विकास के उपरोक्तानुसार आदेश के विरुद्ध राज्य शासन को अपील की जा सकेगी. इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुजूर, सचिव.

परिशिष्ट-1

स्वैच्छिक संगठनों को विभागीय मान्यता के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति,

आयुक्त,
संचालनालय महिला एवं बाल विकास
पुराना नर्सेस हॉस्टल, मंत्रालय परिसर,
छत्तीसगढ़, रायपुर.

महोदय,

हमारा संगठन .... पता .... जिसका कार्यक्षेत्र .... है, की स्थापना दिनांक .... को की गई थी. हमारा संगठन .... अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है. इसका पंजीयन क्रमांक/दिनांक .... है. संगठन के संबंध में विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 अनुसार संलग्न है. कृपया हमारे संगठन को विभागीय मान्यता प्रदान करने का कष्ट करेंगे.

स्थान ....
दिनांक ....

हस्ताक्षर
सचिव/अध्यक्ष

प्रमाण-पत्र

1. मैं, घोषित करता हूं/करती हूं कि उपरोक्त विवरण सही है तथा संगठन ऐसी किसी भी गतिविधियों में भाग नहीं लेता जिसका आधार, राजनैतिक, पृथकतावाद या सांप्रदायिकता है.

2. मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी .... पद का नाम .... संगठन का नाम .... छत्तीसगढ़ शासन महिला बाल विकास विभाग द्वारा निर्धारित नियमों व आदेशों के पालन के लिए प्रतिबद्ध हूं.

स्थान ....
दिनांक ....

हस्ताक्षर
सचिव/अध्यक्ष

जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी का मत

संगठन .... का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, संगठन का कार्य संतोषजनक है, मैं इस संगठन को मान्यता देना जनहित में समझता हूं/समझती हूं.

स्थान ....
दिनांक ....

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

जिलाध्यक्ष का मत

मैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के मत से सहमत हूं.

स्थान ....
दिनांक ....

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

परिशिष्ट-2

विभागीय मान्यता आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक अभिलेख

मान्यता के लिए निर्धारित आवेदन के साथ-साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे :—

1. निर्धारित प्रारूप के आवेदन पत्र तथा निर्धारित स्थान पर जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी तथा जिलाध्यक्ष का स्पष्ट अभिमत व अनुशंसा. आवेदन पत्र पूर्णरूप से भरा हुआ होना चाहिए.

2. निर्धारित प्रपत्र में जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा स्वैच्छिक संगठन का विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन. विस्तृत निरीक्षण टीप में संगठन की संचालित गतिविधियों का विवरण, क्षेत्र में उसका प्रभाव आदि विस्तृत विवरण सम्मिलित होना चाहिए.

3. संगठन के पंजीयन प्रमाणपत्र की फोटो प्रति जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित.

4. संविधान के प्रावधान अनुसार निर्वाचित, रजिस्ट्रार फर्म्स एवं बाल सोसायटीज द्वारा अनुमोदित कार्यकारिणी/प्रबंध समिति की नवीन सूची की फोटो प्रति एवं बायोडाटा जिसमें नाम, पद, योग्यता आदि का उल्लेख हो. यह सूची जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए.

5. संगठन के संविधान की रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज द्वारा अनुमोदित फोटो प्रति जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित. संगठन के उद्देश्यों में महिला एवं बाल कल्याण सम्मिलित होना चाहिए. संविधान से इसकी पुष्टी कर ली जावे.

6. संगठन में पदस्थ/कार्यरत कर्मचारियों की सूची एवं बायोडाटा, जिसमें नाम, पता, योग्यता, नियुक्ति दिनांक, वेतन/मानदेय आदि का विवरण सम्मिलित हो.

7. हितग्राहियों की सूची जिसमें नाम, पता, आयु, जाति, संस्था संचालित होने की स्थिति में प्रवेश तिथि आदि का विवरण सम्मिलित हो.

8. विगत वर्ष का विस्तृत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन एवं वर्तमान संचालित गतिविधियों/कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण.

9. संगठन द्वारा संधारित अभिलेखों, पंजियों की सूची एवं विवरण.

10. संगठन के पास उपलब्ध भवन, फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य साधन संसाधनों, परिसंपत्ति/सामग्री की सूची एवं विवरण.

11. संगठन की कार्यकारिणी/आम सभा में विभाग से मान्यता संबंधी पारित प्रस्ताव की प्रति.

12. विगत 3 वर्षों की चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट की आडिट रिपोर्ट, जिसमें प्राप्ति भुगतान, आय व्यय तथा बेलेन्स शीट सम्मिलित होनी चाहिए.

टीप :—सभी अभिलेख जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है.

परिशिष्ट-3

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता के लिए आवेदनपत्र का प्रारूप

प्रति,

आयुक्त,
संचालनालय महिला एवं बाल विकास
पुराना नर्सेस हॉस्टल, मंत्रालय परिसर,
छत्तीसगढ़, रायपुर.

महोदय,

हमारा संगठन .... पता .... जिसका कार्यक्षेत्र .... है, की स्थापना दिनांक .... को की गई थी. हमारा संगठन .... अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है. इसका पंजीयन क्रमांक/दिनांक .... है. संगठन विभाग से मान्यता प्राप्त है. संगठन के संबंध में विस्तृत विवरण परिशिष्ट-4 अनुसार संलग्न है. कृपया हमारे संगठन को संलग्न परियोजना प्रस्ताव अनुसार .... परियोजना/कार्यक्रम/गतिविधि के लिए राशि रुपये .... की अनुदान सहायता प्रदान करने का कष्ट करेंगे.

स्थान ....
दिनांक ....

हस्ताक्षर
सचिव/अध्यक्ष

प्रमाण-पत्र

1. मैं, घोषित करता हूं/करती हूं कि उपरोक्त विवरण सही है तथा संगठन ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेती जिसका आधार राजनैतिक, पृथकतावाद या सांप्रदायिकता है.

2. मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी .... पद का नाम .... संगठन का नाम .... छत्तीसगढ़ शासन महिला बाल विकास विभाग द्वारा निर्धारित नियमों व आदेशों के पालन के लिए प्रतिबद्ध हूं.

स्थान ....
दिनांक ....

हस्ताक्षर
सचिव/अध्यक्ष

जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी का मत

संगठन .... का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, संगठन का कार्य संतोषजनक है, मैं इस संगठन को अनुदान देना जनहित में समझता हूं/समझती हूं.

मैं, प्रमाणित करता/करती हूं कि संगठन को वर्ष .... में प्रदत अनुदान राशि रुपये .... में से राशि रुपये .... का उपयोग संगठन द्वारा किया गया है तथा राशि रुपये .... अनार्जित है, जो वसूली योग्य है.

मैं, संगठन को .... परियोजना/कार्यक्रम/गतिविधि हेतु वर्ष .... के लिए राशि रुपये .... का अनुदान दिये जाने की अनुशंसा करता/करती हूं.

स्थान ....
दिनांक ....

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

जिलाध्यक्ष का मत

मैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के मत से सहमत हूं.

स्थान ....
दिनांक ....

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

परिशिष्ट-4

अनुदान सहायता हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक अभिलेख

अनुदान सहायता के लिए निर्धारित आवेदन के साथ-साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे :—

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र तथा निर्धारित स्थान पर जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी तथा जिलाध्यक्ष का स्पष्ट अभिमत व अनुशंसा. आवेदन पत्र पूर्णरूप से भरा हुआ होना चाहिए.
2. निर्धारित प्रपत्र में जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा स्वैच्छिक संगठन का विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन. विस्तृत निरीक्षण टीप में संगठन की संचालित गतिविधियों का विवरण, क्षेत्र में उसका प्रभाव आदि विस्तृत विवरण सम्मिलित होना चाहिए. निरीक्षण टीप में विगत तीन वर्षों में किये गये निरीक्षणों का विवरण यथा निरीक्षणकर्त्ता अधिकारी का नाम, निरीक्षण दिनांक, निरीक्षण का संक्षिप्त विवरण जिसमें संचालित गतिविधि, गुणवत्ता, प्रबंधन, लेखा आदि पर टीप शामिल होना चाहिए.
3. संगठन के पंजीयन प्रमाणपत्र की फोटो प्रति जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित.
4. विभाग से मान्यता प्राप्ति संबंधी आदेश की प्रति संलग्न की जाना चाहिए.
5. संविधान के प्रावधान अनुसार निर्वाचित, रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज द्वारा अनुमोदित कार्यकारिणी/प्रबंध समिति की नवीन सूची की फोटो प्रति एवं बायोडाटा जिसमें नाम, पद, योग्यता आदि का उल्लेख हो. यह सूची जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए.
6. संगठन के संविधान की रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज द्वारा अनुमोदित फोटो प्रति जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित.
7. संगठन में पदस्थ/कार्यरत कर्मचारियों की सूची एवं बायोडाटा, जिसमें नाम, पता, योग्यता, नियुक्ति तिथि, मानदेय/वेतन आदि का विवरण सम्मिलित हो.
8. हितग्राहियों की सूची जिसमें नाम, पता, आयु, जाति, संस्था संचालित होने की स्थिति में प्रवेश तिथि आदि का विवरण सम्मिलित हो.
9. विगत वर्ष का विस्तृत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन. विभाग से अनुदानित परियोजना/कार्यक्रम/गतिविधि संचालित हो तो उसका विशेष विवरण दिया जाना चाहिए.
10. वर्तमान संचालित गतिविधियों/कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण तथा चालू वर्ष में कोई नई गतिविधि प्रारंभ की जानी हो या की गई हो, उसका विवरण.
11. संगठन द्वारा संधारित अभिलेखों, पंजियों की सूची एवं विवरण.
12. संगठन के पास उपलब्ध भवन, फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य साधन संसाधनों, परिसंपत्ति/सामग्री की सूची एवं विवरण. विभाग से अनुदान प्राप्त परियोजना/कार्यक्रम/गतिविधि अंतर्गत क्रय परिसंपत्ति/सामग्री का पृथक विवरण यथा नाम, निर्माण तिथि/क्रय तिथि, मूल्य सहित दिया जाना चाहिए. भवन यदि किराये का हो तो मासिक/वार्षिक अनुबंध पत्र संलग्न किया जाना चाहिए.
13. संगठन की कार्यकारिणी/आम सभा में विभाग से अनुदान सहायता प्राप्ति/अनुदानित परियोजना/कार्यक्रम/गतिविधि संचालन संबंधी पारित प्रस्ताव की प्रति.
14. संगठन की साधारण/आम सभा की वार्षिक बैठक का प्रमाणिक कार्यवाही विवरण.
15. विगत 3 वर्षों की चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट की आडिट रिपोर्ट, जिसमें प्राप्ति भुगतान, आय व्यय तथा बेलेन्स शीट सम्मिलित होनी चाहिए.
16. महिला एवं बाल विकास विभाग या अन्य किसी स्रोत से विगत तीन वर्षों में प्राप्त अनुदान का विवरण यथा परियोजना/कार्यक्रम/गतिवधि का नाम, प्राप्त अनुदान राशि आदि.
17. विगत वर्ष प्रदायित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करने का विवरण. उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की जाये.
18. अनुदान सहायता संबंधी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (परिशिष्ट-5 अनुसार) संलग्न किया जाये. (आवर्ती व्यय का 90 प्रतिशत एवं अनावर्ती व्यय का 75 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा.)
19. परियोजना/कार्यक्रम/गतिविधि संचालन हेतु आवश्यक संसाधनों का विवरण. इनमें से जो संसाधन संगठन के पास उपलब्ध है उनका विवरण तथा जो संसाधन संगठन के पास उपलब्ध नहीं है उनकी प्राप्ति का स्रोत एवं प्रक्रिया की जानकारी.
20. संगठन द्वारा पूर्व से यदि उक्त परियोजना/कार्यक्रम/गतिविधि का संचालन किया जा रहा है तो कब से एवं इसके संचालन पर हुए व्यय का विवरण तथा व्यय की गई राशि की व्यवस्था कहां से की गई, की जानकारी.
21. संगठन द्वारा प्रस्तावित परियोजना/कार्यक्रम/गतिविधि हेतु अनुदान स्वीकृति की स्थिति में संगठन के अंशदान का स्रोत (आवर्ती व्यय का 10 प्रतिशत एवं अनावर्ती व्यय का 25 प्रतिशत).
22. संस्था द्वारा उक्त परियोजना/कार्यक्रम/गतिविधि के लिए किसी अन्य विभाग/स्रोत से अनुदान प्राप्त नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र संलग्न किया जाये.
23. परियोजना/कार्यक्रम/गतिविधि निरंतर संचालित किये जाने संबंधी निरंतरता प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाये.

टीप :—सभी अभिलेख जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है.

परिशिष्ट–5

परियोजना प्रतिवेदन

1. परियोजना/कार्यक्रम/गतिविधि का नाम ....

2. हितग्राहियों की संख्या ....
(सूची पृथक से संलग्न करें)

3. परियोजना/कार्यक्रम/गतिविधि की संचालन अवधि ....

4. गतिविधि का स्वरूप/प्रकार ....

5. परियोजना लागत ....

(अ) अनावर्ती लागत

क्र.	संपत्ति/संसाधन का नाम	मात्रा	दर	राशि
1.				
2.				
3.				
4.				
	योग			
	अनुदान योग्य (75%)			
	शेष 25% के लिए स्रोत का विवरण			

(ब) आवर्ती लागत

अ. प्रशासकीय व्यय :—
1. अधिकारियों/कर्मचारियों का मानदेय
2. भवन किराया
3. विद्युत पर व्यय
4. टेलीफोन/डाक/तार व्यय
5. स्टेशनरी पर व्यय
6. अन्य विविध व्यय
7. आकस्मिक/कार्यालय व्यय

ब. परियोजना/गतिविधि संचालन पर :—

1. हितग्राहियों पर व्यय
2. कच्चा सामग्री क्रय करने पर व्यय
3. गतिविधि/कार्यक्रम/परियोजना की प्रकृति के अनुरूप आवश्यक साधन जुटाने अथवा लगने वाली सामग्री का मदवार विस्तृत विवरण.

योग

6. संगठन को देय अनुदान राशि की गणना—

1.	आवर्ती लागत का 90%	....
2.	अनावर्ती लागत का 75%	....
	(-) पूर्व में प्रदत्त अनुदान का शेष	....
	(-) पूर्व में प्रदत्त अनुदान में अमान्य की गई राशि.	....
	कुल	

परिशिष्ट-6

स्वैच्छिक संगठन का निरीक्षण प्रतिवेदन

निरीक्षणकर्त्ता अधिकारी का नाम/पदनाम ....

निरीक्षण दिनांक ....

1. संस्था का नाम, पता, दूरभाष नं., ई-मेल, फैक्स ....
2. अनुदान हेतु प्रस्तावित गतिविधि/कार्यक्रम/परियोजना स्थल का पता दूरभाष नं., ई-मेल, फैक्स. ....
3. संगठन का पंजीयन क्रमांक व दिनांक, अधिनियम जिसके तहत पंजीकृत है. ....
4. संगठन का विभागीय मान्यता आदेश क्र. व दिनांक ....
5. संगठन का पूर्व निरीक्षण दिनांक/पूर्व निरीक्षणकर्त्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम पूर्व निरीक्षण टीप पर संगठन द्वारा की गई कार्यवाही पर टीप. ....
6. संगठन द्वारा संचालित गतिविधियों का विवरण ....
7. संगठन द्वारा महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में संचालित गतिविधियों का विवरण. ....
8. संचालित गतिविधियों की गुणवत्ता पर टीप ....
9. संगठन एवं उसके द्वारा संचालित गतिविधियों के क्षेत्र में प्रभाव पर टीप. ....
10. संगठन की नवीन कार्यकारिणी गठन दिनांक एवं सदस्यों का विवरण. ....
11. संगठन के पदाधिकारियों का विवरण (नाम, पता, आयु, योग्यता, पद, व्यवसाय वार्षिक आय आदि). ....
12. संगठन के प्रबंधन की गुणवत्ता पर टीप ....
13. संगठन में पदस्थ कर्मचारियों का विवरण (नाम, पता, आयु, योग्यता, नियुक्ति तिथि, मानदेय आदि) ....
14. विगत तीन वर्षों के लाभांवित हितग्राहियों का विवरण (नाम, पता, आयु, जाति एवं संस्था संचालित होने की स्थिति में प्रवेश तिथि आदि). ....
15. संगठन द्वारा संधारित अभिलेखों का विवरण एवं उचित संधारण के संबंध में टीप. ....

16. संगठन के पास उपलब्ध भवन, भवन में कितने कमरे हैं, टॉयलेट सुविधा, पानी बिजली आदि की व्यवस्था पर टीप. यदि किराये का है तो निर्धारित किराया, किराया निर्धारणकर्त्ता ....

अनुदानित गतिविधि हेतु भवन आवश्यक होने पर, भवन की स्थिति, उपयुक्तता पर टीप.

17. संगठन के पास उपलब्ध फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य संसाधनों, परिसंपत्ति/सामग्री का विवरण एवं उनकी पर्याप्तता पर टीप. ....

18. संगठन का लेखा संबंधी विवरण (चार्टर्ड एकाउंटेंट की ऑडिट रिपोर्ट आदि.) ....

19. संगठन को विभाग या अन्य स्रोत से विगत तीन वर्षों में प्राप्त अनुदान का गतिविधिवार विवरण. ....

20. संगठन के लेखा संधारण एवं लेखा प्रबंधन पर टीप ....

21. संगठन द्वारा प्रस्तावित परियोजना/कार्यक्रम/गतिविधि संचालन हेतु उपलब्ध संसाधनों की पर्याप्तता एवं संचालन हेतु संगठन की क्षमता पर टीप. ....

22. यदि संगठन को पूर्व में अनुदान स्वीकृत किया गया हो तो अनुदान गतिविधि के निर्धारित मापदंड अनुसार संचालन पर टीप. ....

23. यदि कोई समस्या/कमी देखने में आई हो तो उसकी जानकारी. ....

24. कार्यक्रम/गतिविधि/परियोजना को और अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में सुझाव. ....

25. सामान्य टीप.

निरीक्षणकर्त्ता अधिकारी का हस्ताक्षर

संगठन प्रमुख के हस्ताक्षर

परिशिष्ट-7

अनुबंध-पत्र

यह करारनामा सन् 200 . . . . . .के . . . . माह . . . . दिनांक को . . . . (पदनाम) महिला एवं बाल विकास विभाग ज़िला . . . . .जिसका कार्यालय . . . . .में है, जिसे इसमें आगे ''अनुदान प्रदायकर्त्ता'' कहा गया है, उसके विषय या विषय-वस्तु में जब तक कोई प्रतिकूल अभिव्यंजना न हो, का अर्थ और उसमें उत्तराधिकारी और समनुदेशिति हैं प्रथम पक्ष, और . . . .(स्वैच्छिक संगठन का नाम) जो कि .अधिनियम के तहत सोसायटी/न्यास के रूप में पंजीकृत संगठन है, जिसका कार्यालय . . . . में है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री/श्रीमती (नाम एवं पदनाम) . . . . और श्री/श्रीमती (नाम एवं पदनाम) . . . . करते हैं, जो स्वैच्छिक संगठन की ओर से अनुबंध करने हेतु पूर्णरूपेण प्राधिकृत हैं (इस करार का एक भाग है) जिसे इसमें आगे ''अनुदान प्राप्तकर्त्ता'' कहा गया है, उसके विषय या विषय-वस्तु में जब तक कोई प्रतिकूल अभिव्यंजना न हो, का अर्थ और उसमें तत्समय पंजीकृत संगठन/न्यास के सदस्य, उनके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी वारिस, प्रशासक और समनुदेशिति शामिल हैं द्वितीय पक्ष, के बीच . . . . .में 200 के . . . . .दिन निष्पादित किया गया. अनुदान प्राप्तकर्त्ता द्वारा अनुदान प्रदायकर्त्ता से अनुरोध किया गया है कि वे रु. . . . .(रुपये . . . . .मात्र) का अनुदान . . . . .परियोजना/कार्यक्रम/गतिविधि . . . . के लिए प्रदान करें जिसका उपयोग वे निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु करेंगे.

संगठन से परियोजना/कार्यक्रम/गतिविधि . . . . .को अनुदान नियमावली में दिये गये निर्देश अनुसार उचित ढंग से संचालन हेतु किया गया यह अनुबंध इस बात का साक्षी है :—

1. यह कि अनुदान प्रदायकर्त्ता द्वारा स्वीकृत अनुदान की राशि से अनुदान प्राप्तकर्त्ता द्वारा सृजित अस्तियों पर प्रथम पक्ष का ही प्रथम अधिकार होगा.
2. यह कि अनुदान प्राप्तकर्त्ता को इस करार की शर्तों का पालन न किये जाने की अवस्था में अनुदान प्रदायकर्त्ता द्वारा दी गई अनुदान की पूर्ण अथवा आंशिक राशि जो निर्धारित किया जावे को वापस करना होगा.
3. यह कि योजना के उद्देश्यों एवं अनुदान नियमावली के अनुरूप कार्य निष्पादन में अनुदान प्राप्तकर्त्ता द्वारा चूक किये जाने अथवा स्वीकृत राशि का अन्यथा उपयोग किये जाने या अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन से अनुदान प्रदायकर्त्ता को आर्थिक क्षति पहुंचाये जाने की अवस्था में अनुदान प्रदायकर्त्ता द्वारा अपने स्रोत से क्रय संपत्ति को अधिपत्य में लेकर तथा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर किया जा सकेगा.
4. यह कि अनुदान प्राप्तकर्त्ता द्वारा अनुदान से संचालित गतिविधि/कार्यक्रम/परियोजना का निरीक्षण/पर्यवेक्षण अनुदान प्रदायकर्त्ता द्वारा किया जा सकेगा.
5. यह कि गतिविधि/कार्यक्रम/परियोजना के उचित संचालन हेतु अनुदान प्राप्तकर्त्ता द्वारा समय-समय पर जो आदेश/निर्देश दिये जायेंगे, अनुदान प्रदायकर्त्ता को मान्य एवं बंधनकारी होंगे.
6. अनुदान प्राप्तकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि गतिविधि/कार्यक्रम/परियोजना का लाभ बिना भेदभाव के सभी पात्र हितग्राहियों को प्राप्त हो.
7. अनुदान प्राप्तकर्त्ता द्वारा गतिविधि/कार्यक्रम/परियोजना का संचालन राज्य सरकार/संचालनालय, महिला एवं बाल विकास/कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जावेगा.
8. अनुदान प्राप्तकर्त्ता गतिविधि/कार्यक्रम/परियोजना संचालन हेतु निर्धारित मापदण्ड एवं योग्यता के अनुसार आवश्यक अमला (जो राज्य शासन का कर्मचारी नहीं माना जावेगा) पदस्थ कर सकेगा. परियोजना/कार्यक्रम/गतिविधि का संचालन बंद कर दिये जाने अथवा करारनामा निरस्त किये जाने से अनुदान प्रदायकर्त्ता का गतिविधि/कार्यक्रम/परियोजना संचालन हेतु नियुक्त कर्मचारी के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा.
9. अनुदान प्राप्तकर्त्ता द्वारा नियुक्त अमले को राज्य शासन अर्थात् शासकीय सेवा में लिए जाने संबंधी किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा. अनुदान प्राप्तकर्त्ता द्वारा नियुक्त अमला पूर्णत: अशासकीय माना जावेगा जिसके समस्त स्वत्वों अथवा दायित्वों के भुगतान की जिम्मेदारी अनुदान प्राप्तकर्त्ता की होगी.
10. यह कि अनुदान प्राप्तकर्त्ता नियुक्त अमले का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करेगा एवं उक्त अमले पर प्रशासकीय नियंत्रण अनुदान प्राप्तकर्त्ता का ही होगा.
11. जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी संगठन का समय-समय पर निरीक्षण करने के पश्चात् संचालनालय को निरीक्षण प्रतिवेदन भेजेंगे, संगठन द्वारा योजना संचालन में कमी पाई जाने पर आवश्यक निर्देश दिये जा सकेंगे जिसका पालन किया जाना अनुदान प्राप्तकर्त्ता के लिए अनिवार्य होगा.
12. अनुदान प्राप्तकर्त्ता गतिविधि/कार्यक्रम/परियोजना के संचालन हेतु समस्त अभिलेख या लेखा एवं अन्य पंजियां आदि पृथक से संधारित करेगा तथा राज्य सरकार/महालेखाकार/संचालनालय महिला एवं बाल विकास/कलेक्टर एवं उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों/पंचायत राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों/अधिकारियों को निरीक्षण/जांच के लिए बिना किसी व्यवधान के उपलब्ध करायेगा.

13. यदि अनुदान प्राप्तकर्त्ता द्वारा उक्त अनुबंध में निहित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अनुदान प्रदायकर्त्ता को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा.
14. अनुदान प्राप्तकर्त्ता संचालनालय, महिला एवं बाल विकास/कलेक्टर/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा आयोजित बैठकों में उपस्थित होकर चाही गई जानकारी प्रदाय करेगा.
15. यह कि अनुदान प्राप्तकर्त्ता को गतिविधि/कार्यक्रम/परियोजना संचालन हेतु निर्धारित मापदंड अनुसार अनुदान दिया जावेगा. अनुदान प्रदायकर्त्ता द्वारा अनुदान प्राप्तकर्त्ता को प्रदान किए गए अनुदान की अनर्जित राशि को आगामी अनुदान में समायोजित किया जावेगा. अनुदान प्राप्तकर्त्ता अनर्जित राशि के संबंध में अपना स्पष्टीकरण दे सकेंगे किन्तु समायोजन का निर्णय अनुदान प्रदायकर्त्ता द्वारा लिया जा सकेगा एवं एक बार समायोजन के उपरांत तत्संबंधी राशि संबंधी दावे स्वीकार्य नहीं होंगे.
16. अनुदान प्रदायकर्त्ता द्वारा संगठन से अनुबंध निरस्त करते हुए किसी अन्य संगठन को गतिविधि/कार्यक्रम/परियोजना सौंपी जा सकती है. संगठन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह तत्काल संचालन बंद कर नवीन संस्था को समस्त प्रभार सौंप देवें.
17. संगठन की मान्यता निरस्त किये जाने अथवा संगठन/विभाग द्वारा किसी भी कारण से परियोजना/कार्यक्रम/गतिविधि बंद कर दिये जाने की स्थिति में अनुदान राशि से क्रय समस्त संपत्ति/सामग्री संबंधित जिले के विभागीय जिलाधिकारी को जैसी भी स्थिति में हो, सौंप दी जायेगी.
18. यह कि अनुदान की स्वीकृति अनुदान नियमावली में उल्लेख अनुसार निर्धारित मापदंड के अनुसार की जावेगी.
19. इस अनुबंध पत्र की किसी भी कण्डिका के संबंध में विवाद हो नेकी स्थिति में दोनों पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति/समझौते से निराकरण किया जायेगा परंतु यदि आपसी सहमति से निराकरण संभव न हो, तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा.
20. अनुदान नियमावली में निहित सभी शर्तें इस अनुबंध पत्र का भाग होगी.

इस संबंध में इससे संबंधित पक्षकारों ने प्रथम बार ऊपर लिखी गई तारीख तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये हैं.

प्रथम पक्ष के गवाह **प्रथम पक्ष**

1.

2.

द्वितीय पक्ष के गवाह **द्वितीय पक्ष**

1.

2.

परिशिष्ट-8

बाल कल्याण गतिविधियों के लिए अनुदान

1. **बालबाड़ी सह दिवस देखभाल केन्द्र :—**

(i) यह केन्द्र उन स्थानों पर संचालित किये जा सकेंगे जहां एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना की सेवाएं नहीं है, अर्थात् ऐसे ग्राम/टोले जहां आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित नहीं है तथा 3 से 6 आयु वर्ष के बच्चों की संख्या 25 से अधिक है.

(ii) बालबाड़ी सह दिवस देखभाल केन्द्र का संचालन समय न्यूनतम 4 घंटे होगा.

(iii) बालबाड़ी की एक ईकाई 25 बच्चों की होगी जिसके लिए अनुदान स्वीकृति मापदंड निम्नानुसार होगा—

(अ) अनावर्ती लागत	-	3000/- रुपये
(दरीं, टाट पट्टी, आवश्यक बर्तन इत्यादि हेतु)		
(प्रथम बार तथा 5 वर्ष पश्चात् आवश्यक होने पर देय होगी)		
75 प्रतिशत देय अनावर्ती अनुदान	-	2250/- रुपये
(ब) आवर्ती व्यय		
1. शिक्षिका का मानदेय रु. 800 प्रतिमाह (800×12 माह)	-	9600/- रुपये
2. सहायिका का मानदेय रु. 400 प्रतिमाह (400×12 माह)	-	4800/- रुपये
3. खिलौने हेतु प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय	-	500/- रुपये
4. बच्चों के लिए पोषण आहार	-	7500/- रुपये
(1 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन वर्ष में 300 दिवस हेतु)		
5. आकस्मिक व्यय हेतु रु. 500 प्रतिवर्ष	-	500/-रुपये
6. भवन किराया रु. 100 प्रतिमाह (100×12 माह)	-	1200/- रुपये
कुल राशि	-	**24100/ रुपये**
90 प्रतिशत देय आवर्ती अनुदान	-	**21690/- रुपये**

परिशिष्ट-9

2. झूलाघर—

(i) श्रमिक बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्र/शहरी गंदी बस्ती क्षेत्र की निम्न आय वर्ग की कामकाजी महिला/महिला श्रमिकों के तीन वर्ष आयु तक के बच्चों की देखभाल, संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए झूलाघर संचालित किये जा सकेंगे.

(ii) झूलाघर संचालन का समय न्यूनतम 6 घंटे होगा.

(iii) उन औद्योगिक क्षेत्रों/कार्यस्थलों पर झूलाघर संचालन हेतु अनुदान नहीं दिया जायेगा जहां नियमों के अधीन झूलाघर की व्यवस्था का दायित्व संबंधित न्योक्ता का है.

(iv) झूलाघर की एक इकाई 10 बच्चों की होगी जिसके लिए अनुदान स्वीकृति मापदंड निम्नानुसार होगा :—

(अ) अनावर्ती लागत

(दरी, टाट पट्टी, झूला, आवश्यक बर्तन इत्यादि हेतु) (प्रथम बार तथा 5 वर्ष पश्चात् आवश्यक होने पर देय होगी)	-	5000/- रुपये
75 प्रतिशत देय अनावर्ती अनुदान	-	3750/- रुपये

(ब) आवर्ती व्यय

1. झूलाघर संचालन हेतु कार्यकर्ता का मानदेय रु. 1000 प्रतिमाह (1000 × 12 माह)	-	12000 - रुपये
2. आया का मानदेय रु. 500 प्रतिमाह (500 × 12 माह)	-	6000 - रुपये
3. बच्चों के लिए पोषण आहार (1 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन वर्ष में 300 दिवस हेतु)	-	3000/- रुपये
4. आकस्मिक व्यय हेतु रु. 500 प्रतिवर्ष	-	500/- रुपये
5. खिलौने हेतु प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय	-	500/- रुपये
6. भवन किराया रु. 100 प्रतिमाह (100 × 12 माह).	-	1200/- रुपये
कुल राशि	-	**23200/- रुपये**
90 प्रतिशेष देय आवर्ती अनुदान	-	**20880/- रुपये**

परिशिष्ट-10

3. **अनाथ/निराश्रित बच्चों के लिए बालगृह :—**

(i) बालगृह निम्नलिखित श्रेणी के दो वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की देखभाल, संरक्षण, पालन पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु संचालित किये जायेंगे :—

अ. अनाथ बच्चे.

ब. बच्चे जो पर्याप्त पारिवारिक देखभाल से वंचित हों जिसका कारण हो सकता है, माता-पिता का देहावसान, लंबी बीमारी, माता या पिता को जेल की सजा या ऐसा ही अन्य कोई कारण.

(ii) बालगृह का संचालन उन स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा किया जा सकेगा, जिन्हें राज्य शासन/भारत शासन द्वारा इस हेतु नियमों के अधीन लायसेंस/मान्यता प्राप्त हो.

(iii) बालगृह में बच्चे वयस्क होने/स्थापित होने तक रह सकेंगे.

(iv) बालगृह की एक इकाई 25 से 50 बच्चों की होगी जिसके लिए अनुदान स्वीकृति मापदंड निम्नानुसार होगा :—

(अ) अनावर्ती लागत

(पलंग, आवश्यक फर्नीचर, बर्तन इत्यादि हेतु) - 75000/- रुपये
(प्रथम बार तथा 5 वर्ष पश्चात् आवश्यक होने पर देय होगी)

75 प्रतिशत देय अनावर्ती अनुदान - 56250/- रुपये

(ब) आवर्ती व्यय

(i) **स्टाफ पर व्यय :—**

क्र.	स्टाफ	संख्या	मानदेय प्रतिमाह	वार्षिक खर्च
1.	अधीक्षक	1	3000.00	36000.00
2.	सामाजिक कार्यकर्त्ता/प्रशिक्षक/शिक्षक	2	2000.00	48000.00
3.	रसोईया	1	1000.00	12000.00
4.	डाक्टर (अंशकालिक)	1	1000.00	12000.00
5.	आया	2	1000.00	24000.00
6.	चौकीदार	1	1000.00	12000.00
7.	स्वीपर (अंशकालिक)	1	500.00	6000.00
			कुल	150000.00

		मासिक	वार्षिक
(ii)	**भवन किराय**		
	(अ) बी क्लास शहर के लिए	5000.00	60000.00
	(ब) सी क्लास शहर के लिए	4000.00	48000.00

(iii) हितग्राहियों पर व्यय :—

उपरोक्त स्थापना व्यय के अतिरिक्त निम्नलिखित आवर्ती व्यय वास्तविक लाभार्थी के आधार पर दिया जा सकेगा—

25 बच्चों के लिए गणना की गई है.

(अ)	भोजन तथा अन्य दैन्यदिन आवश्यकता के लिए 500.00 प्रति लाभार्थी प्रतिमाह (25 × 500×12)	-	150000.00
(ब)	वस्त्र, शिक्षण, प्रशिक्षण, आदि हेतु 1000.00 प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष (25 × 1000)	-	25000.00

(iv) संस्था के लिए आकस्मिक व्यय प्रतिवर्ष	-	25000.00
कुल राशि (बी क्लास शहर हेतु)	-	**410000.00**
कुल राशि (सी क्लास शहर हेतु)	-	**398000.00**
90 प्रतिशत देय आवर्ती अनुदान (बी क्लास शहर हेतु)	-	**369000.00 रुपये**
90 प्रतिशत देय आवर्ती अनुदान (सी क्लास शहर हेतु)	-	**358200.00 रुपये**

परिशिष्ट-11

4. बाल विकास केन्द्र हेतु अनुदान

बाल विकास केन्द्र, बच्चों के सर्वांगीण विकास की गतिविधियों/कार्यक्रमों को संचालित करेंगे जिससे कि बच्चों को विज्ञान एवं तकनीक, ललित कलाएं, संगीत, हस्तकला, अन्वेषणात्मक शिक्षण, प्रशिक्षण, स्थानीय कृषि, वनस्पति और पर्यावरण की जानकारी मिल सके और उक्त विषयों में उनकी रुचि जाग्रत हो सके. यह केन्द्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के चिन्हित स्थानों पर राज्य शासन की अनुशंसा पर खोले जावेंगे.

उद्देश्य :—

(i) बच्चों को सृजनात्मक विकास के अवसर उपलब्ध कराना तथा उनका कलात्मक एवं सांस्कृतिक उत्थान करना.
(ii) विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षण में अभिरुचि जागृत करना.
(iii) स्थानीय व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना.
(iv) बालकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त हो सके इसके लिये हस्तकला, चित्रकला, काष्ठकला, वस्त्र छपाई, आदि प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रदान करना.
(v) बच्चों के व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास.
(vi) अन्वेषणात्मक शिक्षण की व्यवस्था प्रदान करना.
(vii) खेलकूद, शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्यवर्धन की सुविधाएं जुटाना.
(viii) मनोरंजन, गीत, संगीत में बालकों की रुचि अनुसार सुविधाएं प्रदान करना.

बालक विकास केन्द्र में प्रवेश हेतु उम्र—

- बाल विकास केन्द्र आवासीय होंगे जिसमें 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के बालक/बालिकाओं को प्रवेश दिया जा सकेगा.

बालक/बालिका की दिनचर्या—

संस्था में प्रवेश दिये गये बालक/बालिकाओं की दिनचर्या शासन द्वारा संचालित किये जाने वाले अन्य संस्थाओं में रहने वाले अन्त:वासी बालकों अनुसार ही रहेगीं किन्तु उन्हें स्कूली शिक्षण के पश्चात् बाल विकास केन्द्रों में रहकर अपनी रुचि अनुसार गतिविधियों में कम से कम 2 घंट का समय व्यतीत करना होगा ताकि स्कूली शिक्षण के अतिरिक्त बालक/बालिका अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत होकर अपना सर्वांगीण विकास कर सकें.

बाल विकास केन्द्र की एक इकाई 100 बच्चों की होगी जिसके लिए अनुदान स्वीकृति मापदंड निम्नानुसार होगा :—

(अ) अनावर्ती लागत

बाल विकास केन्द्र के निर्माण हेतु - 1000000.00 रुपये
साज-सज्जा एवं उपकरण क्रय - 100000.00 रुपये

75 प्रतिशत देय अनावर्ती अनुदान - 825000.00 रुपये

भवन निर्माण के प्रस्ताव पर उचित परीक्षण उपरांत अनुदान स्वीकृत किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा दस लाख रुपये होगी.

(ब) आवर्ती लागत

1. **स्टाफ पर व्यय :—**

क्र.	स्टाफ	संख्या	मानदेय प्रतिमाह	वार्षिक खर्च
1.	अधीक्षक	1	3000.00	36000.00
2.	प्रशिक्षक/शिक्षक	2	2000.00	48000.00

क्र.	स्टाफ	संख्या	मानदेय प्रतिमाह	वार्षिक खर्च
3.	व्यावसायिक अनुदेशक	2	2000.00	48000.00
4.	डाक्टर (अंशकालिक)	1	1000.00	12000.00
5.	रसोईया	1	1000.00	12000.00
6.	आया	1	1000.00	12000.00
7.	चौकीदार	1	1000.00	12000.00
8.	स्वीपर (अंशकालिक)	1	500.00	6000.00
			कुल योग	186000.00

2. **भवन रखरखाव, साजसज्जा एवं संस्था के लिए वार्षिक आकस्मिक व्यय - रु. 25000.00**

कुल राशि - रु. 211000.00

90 प्रतिशत देय आवर्ती अनुदान - रु. 189900.00

3. हितग्राहियों पर व्यय :—

उपरोक्त स्थापना व्यय के अतिरिक्त निम्नलिखित आवर्ती व्यय वास्तविक लाभार्थी के आधार पर दिया जा सकेगा—

(अ) भोजन, तथा अन्य दैन्यदिन आवश्यकता के लिए 500.00 प्रति लाभार्थी प्रतिमाह (100 × 500 × 12) - रु. 600000.00

(ब) वस्त्र, शिक्षण, प्रशिक्षण, आदि हेतु 1000.00 प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष (100 × 1000) - रु. 100000.00

(3 अ एवं 3 ब के लिए 100 प्रतिशत अनुदान देय होगा.)

कुल आवर्ती अनुदान - रु. 889900.00

परिशिष्ट-12

5. बच्चों के कल्याण/विकास के लिए सृजनात्मक कार्य

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रदेश में बच्चों की स्थिति के संबंध में विषय विशेष/क्षेत्र विशेष/स्वास्थ्य संबंधी/सामाजिक प्रथाओं के कारण पड़ने वाले प्रभाव इत्यादि पर विशिष्ट परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उस प्रस्ताव पर नियमानुसार परीक्षण करते हुए न्यूनतम वास्तविक राशि अनुसार अनावर्ती/आवर्ती अनुदान संगठन को दिया जा सकेगा. सृजनात्मक कार्यों के लिए किसी प्रकार की मद नियत नहीं है तथापि संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में व्यय के संबंध में मदवार विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा.

परिशिष्ट-13

महिलाओं के कल्याण की गतिविधियों के लिये अनुदान

1. **शार्टहैण्ड/टायपिंग प्रशिक्षण के लिए अनुदान—**

(i) गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार की हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण वांछित योग्यता रखने वाली बेरोजगार महिलाओं को शार्टहैण्ड/टायपिंग प्रशिक्षण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिया जा सकेगा.

(ii) प्रशिक्षण अवधि छः माह की होगी. प्रशिक्षणार्थियों को निर्धारित अवधि तक प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा तथा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा.

(iii) प्रशिक्षण की यह सुविधा चयनित प्रशिक्षणार्थियों को एक बार ही प्रदान की जायेगी.

(iv) प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की प्रशिक्षण संस्था में माह में कम से कम 25 दिन की उपस्थिति अनिवार्य होगी.

(v) संगठन द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के चयन के लिए समिति का गठन किया जायेगा जिसमें विभाग के जिलाधिकारी एवं जिले के तकनीकी संस्था जैसे आईटीआई/पॉलिटेकनिक कॉलेज आदि के प्राचार्य को अनिवार्यतः शामिल किया जाना होगा. यह समिति पात्रता तथा प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों का चयन करेगी. प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे.

(vi) प्रशिक्षणार्थियों के चयन में छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा. इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विकलांग हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जायेगी.

(vii) संगठन को वर्ष में एक बार अधिकतम 25 महिलाओं की इकाई के लिए अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा जिसका स्वीकृति मापदंड निम्नानुसार होगा :—

(अ) अनावर्ती लागत

टायपिंग मशीन 2 नग, आवश्यक फर्नीचर आदि	-	रु. 25000.00
75 प्रतिशत देय अनावर्ती अनुदान	-	रु. 18750.00

(ब) आवर्ती व्यय

1. प्रशिक्षक का मानदेय 2000 प्रतिमाह (2000×6 माह)	-	रु. 12000.00
2. प्रशिक्षण हेतु आवर्ती व्यय 100 रु. प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षणार्थी (100×6 माह × 25)	-	रु. 15000.00
3. आकस्मिक/कार्यालय व्यय 500 प्रतिमाह (500 × 6 माह)	-	रु. 3000.00
कुल राशि	-	**रु. 30000.00**
90 प्रतिशत देय आवर्ती अनदान	-	**रु. 27000.00**

परिशिष्ट–14

2. **हेल्पलाईन सह महिला परामर्श केन्द्र—**

(i) विपत्तिग्रस्त महिलाओं को संकट के समय सहायता उपलब्ध कराने तथा परामर्श सेवाएं प्रदान हेतु हेल्पलाईन सह परामर्श केन्द्र संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिया जा सकेगा.

(ii) स्वैच्छिक संगठन परामर्श केन्द्र के माध्यम से अथवा निकटस्थ महिला गृह/नारी निकेतन/अल्पकालीन आवास गृह आदि में प्रवेश दिलवाकर विपत्तिग्रस्त महिला को चिकित्सीय, पुलिस, कानूनी एवं अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे.

(iii) हेल्पलाईन सह परामर्श केन्द्र संचालन हेतु निम्नानुसार अनुदान राशि स्वैच्छिक संगठन को स्वीकृत की जा सकेगी :—

(अ) **अनावर्ती लागत**

हेल्पलाईन सह परामर्श केन्द्र के लिए फर्नीचर, टेलीफोन कनेक्शन आदि.	–	रु. 25000.00
75 प्रतिशत देय अनावर्ती अनुदान	–	रु. 18750.00

(ब) **आवर्ती व्यय**

1. समन्वयक हेल्पलाईन रु. 2000 प्रतिमाह (2000 × 12)	–	रु. 24000.00
2. 2 टेलीफोन आपरेटरों का मानदेय रु. 1000 प्रतिमाह (1000 × 12 × 2)	–	रु. 24000.00
3. भवन किराया 1000 रुपये प्रतिमाह (1000 × 12)	–	रु. 12000.00
4. अन्य आकस्मिक/कार्यालय व्यय 1000 रुपये प्रतिमाह (1000×12)	–	रु. 12000.00
5. मानसेवी, चिकित्सक, अधिवक्ता	–	रु. 48000.00
सामाजिक कार्यकर्त्ता तथा मनोविज्ञानी के लिए मानदेय (4 अंशकालिक विषय विशेषज्ञ हेतु रु. 1000 प्रतिमाह (1000 × 12)	–	
कुल योग		**रु. 120000.00**
90 प्रतिशत देय आवर्ती अनुदान	–	**रु. 108000.00**

परिशिष्ट-15

3. **निराश्रित महिला/मानसिक विक्षिप्त महिलाओं के लिए महिला गृह हेतु अनुदान—**

(i) निराश्रित एवं विपत्तिग्रस्त महिला को आश्रय व सहारा प्रदान करने तथा उनके नि:शुल्क परिपालन व पुनर्वास के लिए महिला गृह संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिया जा सकेगा.

(ii) मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं को आश्रय व सहारा प्रदान करने तथा उनके नि:शुल्क परिपालन व पुनर्वास के लिए गृह संचालन हेतु भी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिया जा सकेगा.

(iii) उपरोक्त दोनों श्रेणी के गृहों के माध्यम से उल्लेखित श्रेणी की महिलाओं के नि:शुल्क आवास, भरण-पोषण, चिकित्सा, कानूनी सहायता, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक सहायता सहयोग और पुनर्वास की व्यवस्था की जायेगी.

(iv) निराश्रित महिला/मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं के महिला गृह का संचालन उन स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा किया जा सकेगा, जिन्हें राज्य शासन/भारत शासन द्वारा इस हेतु नियमों के अधीन लायसेंस/मान्यता प्राप्त हो.

(v) महिला गृह की एक इकाई 25 से 50 महिलाओं की होगी जिसके लिए अनुदान स्वीकृति मापदंड निम्नानुसार होगा :—

(अ) अनावर्ती लागत

(पलंग, आवश्यक फर्नीचर, बर्तन इत्यादि हेतु) - 75000/- रुपये
(प्रथम बार तथा 5 वर्ष पश्चात् आवश्यक होने पर देय होगी)
75 प्रतिशत देय अनावर्ती अनुदान - 56250/- रुपये

(ब) आवर्ती व्यय

1. **स्टाफ पर व्यय :—**

क्र.	स्टाफ	संख्या	मानदेय प्रतिमाह	वार्षिक खर्च
1.	अधीक्षक	1	3000.00	36000.00
2.	सलाहकार/प्रशिक्षक	2	2000.00	48000.00
3.	रसोईया	1	1000.00	12000.00
4.	डाक्टर (अंशकालिक)	1	1000.00	12000.00
5.	मनोचिकित्सक (अंशकालिक)	1	1000.00	12000.00
6.	स्टॉफ नर्स	1	2000.00	24000.00
7.	आया	2	1000.00	24000.00
8.	चौकीदार	1	1000.00	12000.00
9.	स्वीपर (अंशकालिक)	1	500.00	6000.00
			कुल योग	186000.00

टीप :—मनोचिकित्सक एवं स्टॉफ नर्स का प्रावधान केवल मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं के महिला गृह के लिए होगा. निराश्रित महिला गृह के लिए क्रमांक 5 एवं 6 को छोड़कर शेष स्टॉफ का प्रावधान होगा.

2. **भवन किराया :—**

		मासिक	वार्षिक
(अ)	बी क्लास शहर के लिए	5000.00	60000.00
(ब)	सी क्लास शहर के लिए	4000.00	48000.00

3. **हितग्राहियों पर व्यय :—**

उपरोक्त स्थापना व्यय के अतिरिक्त निम्नलिखित आवर्ती व्यय वास्तविक लाभार्थी के आधार पर दिया जा सकेगा :—

25 महिलाओं के लिए गणना की गई है.

(अ)	भोजन, तथा अन्य दैन्यदिन आवश्यकता के लिए 750.00 प्रति लाभार्थी प्रतिमाह.	–	रु. 225000.00
(ब)	वस्त्र, शिक्षण, प्रशिक्षण, आदि हेतु 1000.00 प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष.	–	रु. 25000.00

4. संस्था के लिए आकस्मिक/कार्यालय व्यय प्रतिवर्ष – रु. 25000.00

निराश्रित महिला गृह के लिए

कुल राशि (बी. क्लास शहर हेतु)	–	रु. 485000.00
कुल राशि (सी. क्लास शहर हेतु)	–	रु. 473000.00

90 प्रतिशत देय आवर्ती अनुदान

(बी. क्लास शहर हेतु)	–	रु. 436500.00
(सी. क्लास शहर हेतु)	–	रु. 425700.00

मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला गृह के लिए

कुल राशि (बी. क्लास शहर हेतु)	–	रु. 521000.00
कुल राशि (सी. क्लास शहर हेतु)	–	रु. 509000.00

90 प्रतिशत देय आवर्ती अनुदान

(बी. क्लास शहर हेतु)	–	रु. 468900.00
(सी. क्लास शहर हेतु)	–	रु. 458100.00

परिशिष्ट-16

4. **महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण—**

(i) गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार की शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को विश्वविद्यालय/महिला पॉलिटेकनिक/महिला आई.टी.आई. या अन्य शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में जो संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण के लिए अधिकृत हो में या उनसे समन्वय कर या उनके सहयोग से व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिया जा सकेगा ताकि भविष्य में प्रशिक्षित विधा में महिलाएं अपने जीवकोपार्जन हेतु आत्मनिर्भर हो सके.

(ii) प्रस्तावित व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थागत होगा.

(iii) प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित शैक्षणिक/अन्य अर्हतायें पूर्ण करने वाली महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए पात्र होगी.

(iv) प्रशिक्षण अवधि अधिकतम 12 माह की होगी. प्रशिक्षणार्थियों को निर्धारित अवधि तक प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा तथा निर्धारित परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा.

(v) प्रशिक्षण की यह सुविधा चयनित प्रशिक्षणार्थियों को एक बार ही प्रदान की जायेगी.

(vi) प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की प्रशिक्षण संस्था में माह में कम से कम 25 दिन की उपस्थिति अनिवार्य होगी.

(vii) संगठन द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के चयन के लिए समिति का गठन किया जायेगा जिसमें विभाग के जिलाधिकारी एवं जिले के तकनीकी संस्था जैसे आईटीआई/पॉलिटेकनिक कॉलेज आदि के प्राचार्या को अनिवार्यत: शामिल किया जाना होगा. यह समिति पात्रता तथा प्राथमिकता के अधार प्रशिक्षणार्थियों का चयन करेगी. प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे.

(viii) प्रशिक्षणार्थियों के चयन में छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा. इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा परित्यक्ता एवं विकलांग हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जायेगी.

(ix) प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थी के ठहरने तथा अन्य व्यय संस्था/प्रशिक्षणार्थी को स्वयं वहन करना होगा.

(x) प्रशिक्षण प्राप्ति पश्चात् इन महिलाओं को स्वरोजगार में लगाने की कार्यवाही स्वैच्छिक संगठन द्वारा की जायेगी. इसके लिए उन्हें बैंक से ऋण, अन्य स्रोत से वित्तीय व्यवस्था, शासकीय अथवा अन्य योजनाओं के तहत सहायता प्राप्ति के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करने, निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण करने एवं अन्य सभी प्रकार की सहायता संगठन द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी.

(xi) संगठन द्वारा अगले वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व अथवा अगला अनुदान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व इन महिलाओं के स्वरोजगार संबंधी गतिविधियों का प्रमाण विवरण प्रस्तुत करना होगा.

(xii) संगठन को वर्ष में एक बार एक ट्रेड के लिए अधिकतम 25 महिलाओं की इकाई के लिए अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा जिसका स्वीकृति मापदंड निम्नानुसार होगा :—

(अ) अनावर्ती लागत

आवश्यक उपकरण, फर्नीचर आदि के लिए अधिकतम सीमा	–	रु. 50000.00
75 प्रतिशत देय अनावर्ती अनुदान	–	रु. 37500.00

(ब) आवर्ती व्यय

1. 2 प्रशिक्षकों का मानदेय 2000 प्रतिमाह (2000 × 2 × 10 माह)	–	रु. 40000.00
2. प्रशिक्षण हेतु आवर्ती व्यय 250 रु. प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षणार्थी (250 × 10 माह × 25)	–	रु. 62500.00
3. आकस्मिक/कार्यालय व्यय 1000 प्रतिमाह (1000 × 10 माह)	–	रु. 10000.00
4. परीक्षा शुल्क 500 प्रति प्रशिक्षणार्थी (500 × 25)	–	रु. 12500.00
5. भवन किराया 2000 रुपये प्रतिमाह (2000 × 10 माह)	–	रु. 20000.00
कुल राशि	–	**रु. 145000.00**
90 प्रतिशत देय आवर्ती अनुदान	–	**रु. 130500.00**

अथवा

प्रशिक्षण शुल्क (आवर्ती व्यय) 5000.00 रुपये वार्षिक प्रति प्रशिक्षणार्थी या वास्तविक रूप से देय जो भी कम हो.

परिशिष्ट-17

5. महिलाओं के कल्याण/विकास के लिए सृजनात्मक कार्य—

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रदेश में महिलाओं की स्थिति के संबंध में विषय विशेष/क्षेत्र विशेष/स्वास्थ्य संवर्धन/सामाजिक प्रथाओं के कारण पड़ने वाले प्रभाव इत्यादि पर विशिष्ट परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उस प्रस्ताव पर नियमानुसार परीक्षण करते हुए न्यूनतम वास्तविक राशि अनुसार अनावर्ती/आवर्ती अनुदान संगठन को दिया जा सकेगा. सृजनात्मक कार्यों के लिए किसी प्रकार की मद नियत नहीं है तथापि संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में व्यय के संबंध में मदवार विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा.

परिशिष्ट-18

6. प्रदेश के बाहर स्थित उत्कृष्ट प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को प्रशिक्षण—

(i) महिलाओं में उद्यमिता की भावना विकसित करने, उन्हें स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए तथा इस हेतु आवश्यक व्यवसायिक व तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उनके कौशल उन्नयन प्रशिक्षण हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जा सकेगा.

(ii) इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार की चयनित बेरोजगार महिलाओं को उनकी आवश्यकतानुसार क्षमता, रुचि व योग्यता के आधार पर प्रदेश के बाहर स्थित उत्कृष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिया जा सकेगा. इसके लिए ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जो संबंधित व्यवसाय/क्षेत्र में पूर्व से कार्यरत हो या उसका प्रारंभिक ज्ञान रखती हो.

(iii) एक संगठन को वर्ष में एक बार 25 महिलाओं के लिए अनुदान राशि स्वीकृत की जा सकेगी.

(iv) प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि 15 दिवस होगी.

(v) प्रशिक्षणार्थियों के रहने व आने जाने का वास्तविक व्यय तथा प्रशिक्षण का वास्तविक शुल्क संगठन को उचित प्रमाणन पश्चात् दिया जावेगा.

(vi) संगठनों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय सभी मदों पर विवरण प्रस्तुत करना होगा.

(vii) प्रशिक्षण प्राप्ति पश्चात् इन महिलाओं को स्वरोजगार में लगाने की कार्यवाही स्वैच्छिक संगठन द्वारा की जायेगी. इसके लिए उन्हें बैंक से ऋण, अन्य स्रोत से वित्तीय व्यवस्था, शासकीय अथवा अन्य योजनाओं के तहत सहायता प्राप्ति के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करने, निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण करने एवं अन्य सभी प्रकार की सहायता संगठन द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी.

(viii) संगठन द्वारा अगले वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व अथवा अगला अनुदान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व इन महिलाओं के स्वरोजगार संबंधी गतिविधियों का प्रमाण विवरण प्रस्तुत करना होगा.

परिशिष्ट 19

विविध अनुदान

7. अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान—

(i) महिला एवं बाल कल्याण/विकास के क्षेत्र में अनुसंधान, मूल्यांकन, प्रबोधन अध्ययन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जा सकेगा.

(ii) ऐसे अनुसंधान, मूल्यांकन कार्य को सहायता अनुदान प्रदान किया जायेगा जिससे नीति निर्माण, कार्यक्रम निर्धारण, परियोजना तैयार करने में सहायता मिल सके.

(iii) शोधकर्त्ता को शोध का विषय विभाग से अनुमोदित करना होगा तथा शोध से संबंधित समस्त दस्तावेजों पर विभाग का आधिपत्य रहेगा. प्रस्ताव की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए अनुदान प्रस्ताव स्वीकृत किया जायेगा.

(iv) स्वैच्छिक संगठन को निम्नानुसार अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा :—

(क) अनुसंधान/मूल्यांकन/प्रबोधन अध्ययन आयोजित करने वाले संगठनों को शोधकर्मी के वेतन/मानदेय तथा भत्ते, यात्रा, परामर्श, मुद्रण, उपस्कर तथा पुस्तकों की खरीद, गणना लागत, आकस्मिक तथा ऊपरी प्रभार.

(ख) महिलाओं से संबंधित योजनाओं के प्रबोधन हेतु संगठनों की क्षमता निर्माण.

(ग) छत्तीसगढ़ के संदर्भ में महिला एवं बाल विकास/कल्याण के क्षेत्र में अनुसंधान उपरांत प्राप्त निष्कर्ष को लागू करने हेतु दस्तावेजों के प्रकाशन.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 8 जून 2002

क्रमांक/550/रीडर/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कांकेर	भानुप्रतापपुर	चौंगेल	0.74	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, कांकेर.	राजनांदगांव बैलाडीला मार्ग कि.मी. 92/2 पर मध्यमपुल के पहुंच मार्ग.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 3 मई 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/10/अ/82/ 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	पिसीद	0.229	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	बलार परियोजना के पिसीद शाखा नहर क्र. 1 निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 27 मई 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/53.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	मुकुन्दपुर प. ह. नं. 23	0.607	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	बायीं तट नहर अंतर्गत नाला डायवर्सन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 मई 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/54.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	मुकुन्दपुर प. ह. नं. 23	0.101	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	डेबियर माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 मई 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/55.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	मुकुन्दपुर प. ह. नं. 23	0.211	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	हसदेव बायीं तट नहर के अंतर्गत सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 2 जून 2005

रा. प्र. क्र./6/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	बेलजोरा	3.013	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, अंबिकापुर.	घघिला जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 2 जून 2005

रा. प्र. क्र./9/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	पेटला	0.279	अनुविभागीय अधि., लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण उप संभाग, अंबिकापुर.	पेटला मार्ग पर मांड सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 2 जून 2005

रा. प्र. क्र./14/अ-32/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	जरहाडीह	2.887	अनुविभागीय अधि., लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण उप संभाग, अंबिकापुर.	बतौली-बगीचा मार्ग के कि. मी. 8/6 पर साकिन सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 2 जून 2005

रा. प्र. क्र./4/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	बगडोली	18.130	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, अंबिकापुर.	रजपुरी जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 2 जून 2005

रा. प्र. क्र./5/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	बतौली	0.136	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, अंबिकापुर.	बतौली जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 14 जून 2005

क्रमांक 3678/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	उधनापुर	24.35	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर.	उधनापुर बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) जिलाध्यक्ष, जिला कोरिया (बैकुण्ठपुर) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 14 जून 2005

क्रमांक 3678/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	जड़हरी	17.31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर.	उधनापुर बांध निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) जिलाध्यक्ष, जिला कोरिया (बैकुण्ठपुर) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमीर अली, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 13 जून 2005

क्रमांक 4067/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कन्हारडबरी, प.ह.नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.45 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
34/1	0.12
37/2	0.35
39/1	0.11
218/3	0.11
60/3	0.20
217/3	0.14
35	0.06
47/1	0.22
44/5	0.11
49/2	0.42
59/1	0.25
36	0.11
41	0.03
47/2	0.22
61	0.88
218/1	0.25
37/1	0.35
39/3	0.35
50	0.01
60/1, 2	0.02
219/1	0.14
योग 21	4.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खैरबना जलाशय योजना की नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 1 जून 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-खरसिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.546 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
58/1	0.077
152/3	0.194
153/1	0.081
533	0.065
543	0.324
549/1	0.097
58/5 ख	0.045
152/4	0.356
531	0.121
541/1	0.166
540/4	0.020
योग 11	1.546

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाम्हनपाली से रेल्वे गोदाम (बायपास) तक सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 जून 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-मौहापाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.555 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
44/1	0.405
48/4	0.146
58/4	0.040
58/3	0.049
60/3, 61/2	0.243
98	0.057
47/4	0.142
58/6	0.032
58/5	0.073
59	0.121
96/1	0.162
97	0.085
योग 12	1.555

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाम्हनपाली से रेल्वे गोदाम (बायपास) तक सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 मई 2005

क्रमांक 01/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-पामगढ़

(ग) नगर/ग्राम-राहौद, प.ह.नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.411 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2198	0.049
2220/1	0.085
2186, 2187, 2188, 2189/2 2190/1, 2190/2, 2191/2, 2192, 2193	0.028
2185	0.085
2182	0.036
2222	0.020
2223	0.032
2183	0.024
2261	0.012
2262/1 क	0.004
2263	0.004
2262/2	0.032
योग 12	0.411

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राहौद से पकरिया पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 मई 2005

क्रमांक 03/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जांजगीर

(ग) नगर/ग्राम-बम्हनी, प.ह.नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.206 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
578/2	0.206
योग	0.206

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बम्हनी कटनई देवरी मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 मई 2005

क्रमांक 01 /सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जांजगीर

(ग) नगर/ग्राम-गतवा, प.ह.नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.890 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
249/1, 250/1	0.028

(1)	(2)
249/2, 251/1	0.008
259/1 क	0.599
256	0.036
260	0.097
262/1	0.061
261, 262/2	0.061
योग 7	0.890

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत गतवा से केराकछार मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 12th September 2002

No. 4890/Confdl./2002/II-2-1-2002 (Pt. II).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby temporarily appoints Shri Radheshyam Sharma, Special Judge (Prevention of Atrocities Act), Bastar (Jagdalpur) and Smt. Maitrai Mathur Special Judge (Prevention of Atrocities Act.), Rajnandgaon as officiating District & Sessions Judge of Bastar & Rajnandgaon Civil Districts respectively until the posting of regular District & Sessions Judges. They shall discharge the duties of Special Judge also under the Scheduled Castes & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 besides discharging the duties of District & Sessions Judge. As soon as regular District & Sessions Judges are appointed at Bastar and Rajnandgaon respectively Shri Radheshyam Sharma and Smt. Maitrai Mathur shall revert to their original post.

Bilaspur, the 23rd September 2002

No. 5032/II-15-22/2001.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (10) of Section 11 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (hereinafter referred to as the Act), Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh hereby makes the following Scheme :—

1. **Short Title**—This Scheme may be called the Scheme for Appointment of Arbitrators by the Chief Justice of Chhattisgarh High Court, 2002.

2. **Submission of request**—The request under Sub-section (4) or Sub-section (5) or Sub-section (6) of Section 11 of the Act shall be made in writing, signed and verified and accompanied by :—

(a) Original arbitration agreement or a duly certified copy thereof;

(b) the names and addresses of the parties to the arbitration agreement;

(c) the names and addresses of the arbitrators, if any, already appointed;

(d) the name and address of the person or institution, if any, to whom or which any function has been entrusted by the parties to the arbitration agreement under the appointment procedure agreed upon by them;

(e) the qualification required, if any, of the arbitrators by the agreement of the parties;

(f) a brief written statement describing the general nature of the dispute and the points at issue;

(g) the relief or remedy sought; and

(h) an affidavit, supported by the relevant documents to the effect that the condition to be satisfied under Sub-section (4) or Sub-section (5) or Sub-section (6) of Section 11 of the Act, as the case may be, before making the request has been satisfied and how it has been so satisfied.

3. **Authority to deal with the request—**

(1) For the purpose of dealing with the request made under paragraph 2 the Chief Justice hereby designates the District Judge/Additional District Judges, where the value of the subject matter does not exceed 25 lakhs rupees.

(2) The request involving the subject matter exceeding 25 lakhs rupees shall be dealt with by the Chief Justice himself or he may designate any Judge of the High Court for this purpose by a general or special order.

(3) The request falling under Sub-para (1) shall be placed before the District Judge for appropriate allotment and the requests falling under Sub-para (2) shall be placed before the Chief Justice or his designate.

4. Requests and communications to be sent to Additional Registrar (Judicial)—

(1) All requests under this Scheme and communications relating thereto, which are addressed to the Chief Justice, shall be presented to the Additional Registrar (Judicial) of the High Court, who shall maintain a separate Register of such requests and communications.

(2) The Additional Registrar (Judicial) shall examine the memo of request and submit report to the Chief Justice or to his designate, as the case may be, as to whether the request has been made in accordance with paragraph 2 and payment of Court fee in accordance with paragraph 10.

5. Seeking further information—The Chief Justice or his designate may seek such further information or clarification or documents from the party making the request under this Scheme as he may deem fit and the party making the request shall file as many copies of the written information or clarifications or copies of documents as may be required.

6. Rejection of—Where the request made by any party is not in accordance with the provisions of this Scheme, the Chief Justice or his designate may reject the same.

7. Notice to affected persons—Where the request is not rejected under paragraph 6, the Chief Justice or his designate shall direct that a notice of the application be given to all the parties to the arbitration agreement and to such other person or persons likely to be affected by such request to show cause within the time specified in the notice as to why the appointment of the arbitrator(s) or the measures proposed to be taken should not be made or taken and such notice shall be accompanied by copies of all documents referred to in paragraph 2 or, the information or clarification or copies of documents, if any, sought under paragraph 5, as the case may be.

8. Intimation of action taken on request—The appointment made or measures taken by the Chief Justice or his designate shall be communicated in writing to :—

(a) the parties to the arbitration agreement.

(b) the arbitrator, if any, already appointed by the parties to the arbitration agreement.

(c) the person or the institution referred to in paragraph 2(d) and

(d) the arbitrator appointed in pursuance of the request.

9. Delivery & Receipt of Written Communication—The provisions of Sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Act shall, so far as may be, apply to all written communications received or sent under this Scheme.

10. Costs for processing requests—A request under paragraph 3 (1) shall be accompanied by court fee stamps of Rs. 1,000/- and under paragraph 3 (2) by Rs. 2,000/-

11. Interpretations—If any question arises with reference to the interpretation of any of the provisions of this Scheme, the question shall be referred to the Chief Justice whose decision shall be final.

12. Power to amend the Scheme—The Chief Justice may from time to time amend by way of addition or variation any provision of this Scheme.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
B. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2002

क्रमांक 5034/तीन-6-1/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम क्रमांक 2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना क्रमांक 1042/तीन-6-1/2000, दिनांक 12 फरवरी 2002 को अतिष्ठित करते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तंभ (2) में दर्शित न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 (सन् 1966 का 29) एवं रेल्वे एक्ट, 1989 (सन् 1989 का 24) के अंतर्गत दण्डनीय और रेलभूमि के उस भाग, जो छत्तीसगढ़ के उक्त सारणी के स्तंभ (4) में दर्शित सिविल जिलों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित हैं, में होने वाले अपराधों के जांच एवं विचारण के लिये छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2117/इक्कीस-ब (छ. ग.)/2001, दिनांक 16 मई 2001 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन् 1974 का 2) की धारा 11 (1) के अधीन निर्मित विशेष न्यायालय का, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम (2)	मुख्यालय (3)	स्थानीय क्षेत्र (4)
1.	श्री बलिन्दर सिंह सलूजा	बिलासपुर	बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा-स्थान अंबिकापुर.

Bilaspur, the 23rd September 2002

No. 5034/III-6-1/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), and in supersession of its notification No. 1042/III-6-1/2000, dated 12th February, 2002 the High Court of Chhattisgarh. hereby appoints the Judicial Magistrate First Class shown in Column No. (2) of the Table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Chhattisgarh under Section 11 (1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. 2117/21-B (C.G.)/2001, dated 16th May 2001 for enquiry and trial of offences under the Railway Property (Unlawful Possession) Act 1966 (No. 29 of 1966) and under the Railway Act, 1989 (Act No. 24 of 1989) arising out of the Railway Lands running through the territories of Civil Districts shown in column No. (4) of the said with effect from the date of his assuming charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Magistrate First Class (2)	Head Quarter (3)	Local Area (4)
1.	Shri Balinder Singh Saluja.	Bilaspur	Bilaspur, Raigarh, Raipur, Sarguja at Ambikapur.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
बी. के. श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2003

क्रमांक 832/दो-2-32/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री जे. के. एस. राजपूत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा को दिनांक 16-2-2004 से दिनांक 25-2-2004 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14-2-2004 एवं 15-2-2004 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. एस. राजपूत को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. एस. राजपूत उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 227 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2003

क्रमांक 866/दो-2-22/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश, अ. जा. एवं अ. ज. जा. (अ. नि.) अधि. राजनांदगांव को दिनांक 31-12-2003, 1 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मैत्रेयी माथुर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मैत्रेयी माथुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो वे अपने पद पर कार्यरत रहतीं.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 27 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
बी. के. श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.

बिलासपुर, दिनांक 11 मार्च 2003

क्रमांक 84/गोपनीय/दो-2-35/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 सह पठित छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से, छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के अध्याय तीस के नियम 594 के स्थान पर निम्न नियम एतद्द्वारा प्रतिस्थापित करता है :—

अध्याय-तीस

594-न्यायिक अधिकारियों के लिये यूनीफार्म—

1. उच्च न्यायिक सेवा एवं निम्न न्यायिक सेवा के सदस्य सफेद कमीज (शर्ट), सफेद बैंड, काला कोट, सफेद या धारियों वाला या भूरा पतलून (ट्राउजर) तथा गाउन पहनेंगे.

2. उच्च न्यायिक सेवा एवं निम्न न्यायिक सेवा की महिला न्यायाधीशगण सादी सफेद या क्रीम या भूरी साड़ी, सफेद ब्लाउज, काला कोट, सफेद बैंड तथा गाउन पहनेंगी.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
बी. के. श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.

Bilaspur, the 11th March 2003

No. 84/(Confdl.)/II-2-35/2002.—In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India read with Section 23 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh with the prior approval of the Governor of Chhattisgarh State, hereby, substitutes the following rule in place of rule-594 of Chapter XXX of the Chhattisgarh Civil Courts Rules 1961 :—

CHAPTER XXX

594-Uniform for Judicial Officers—

1. The members of the Higher Judicial Service as well as the members of Lower Judicial Service shall wear White Shirt, White Band, Black Coat, White or Striped or Grey Trousers and Gown.

2. The Lady Judges of Higher Judicial Service as well as Lower Judicial Service shall wear plain White or Cream or Grey Saree, White Blouse, Black Coat, White Band and Gown.

By order of the High Court,
B. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक 1610/दो-2-10/2003.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को दिनांक 2-4-2003 से दिनांक 10-4-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 9 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11-4-2003 से 13-4-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार श्रीवास्तव को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इन्हें 240 + 6 दिवस के अर्जित अवकाश की पात्रता आती है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2003

क्रमांक 1808/दो-2-36/2002.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री आर. एल. झंवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर को दिनांक 26-12-2002 से दिनांक 31-12-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 से 25-12-2002 तक शीतकालीन अवकाश एवं पश्चात् में दिनांक 1-1-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एल. झंवर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एल. झंवर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इन्हें 97 दिवस के अर्जित अवकाश की पात्रता आती है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2003

क्रमांक 1810/दो-2-36/2002.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री आर. एल. झंवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर को दिनांक 24-2-2003 से दिनांक 28-2-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23-2-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 1-3-2003 व 2-3-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एल. झंवर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एल. झंवर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इन्हें 100 दिवस के अर्जित अवकाश की पात्रता आती है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2003

क्रमांक 1812/दो-2-36/2002.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री आर. एल. झंवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर को दिनांक 13-3-2003 से दिनांक 22-3-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23-3-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एल. झंवर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एल. झंवर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इन्हें 90 दिवस के अर्जित अवकाश की पात्रता आती है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2003

क्रमांक 1817/दो-2-28/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री आर. एन. चन्द्राकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को दिनांक 21-4-2003 से दिनांक 26-4-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20-4-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 27-4-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चन्द्राकर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चन्द्राकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इन्हें 227 + 9 दिवस के अर्जित अवकाश की पात्रता आती है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2003

क्रमांक 1819/दो-2-26/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री आर. एस. शर्मा, विशेष न्यायाधीश (अ. जा./अ. ज. जा. अधि.) जगदलपुर को दिनांक 13-2-2003 से दिनांक 22-2-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12-2-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 23-2-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एस. शर्मा को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एस. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इन्हें 240 + 5 दिवस के अर्जित अवकाश की पात्रता आती है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2003

क्रमांक 1821/दो-2-22/2003.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश (अ. जा./अ. ज. जा. अधि.), राजनांदगांव को दिनांक 20-1-2003 से दिनांक 23-1-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19-1-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मैत्रेयी माथुर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थीं.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मैत्रेयी माथुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो वे अपने पद पर कार्यरत रहतीं.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इन्हें 21 दिवस के अर्जित अवकाश की पात्रता आती है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
बी. के. श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.

बिलासपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2003

क्रमांक 1938/तीन-10-8/2000.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम,1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 के खण्ड (क) के अधीन राज्य शासन द्वारा सभी सिविल जिलों के लिए स्थापित जिला न्यायाधीश के न्यायालय उनके समक्ष, नीचे दी गई सारणी के अनुसार, विनिर्दिष्ट जिले के मुख्यालय पर बैठेंगे और इस प्रकार की बैठक नियत दिनांक 1-11-2000 से प्रवृत्त माने जावेंगे :—

सारणी

अनु क्रमांक (1)	जिला न्यायाधीश के न्यायालय (2)	बैठने के स्थान (3)
1.	बस्तर	जगदलपुर
2.	बिलासपुर	बिलासपुर
3.	दुर्ग	दुर्ग
4.	रायगढ़	रायगढ़
5.	रायपुर	रायपुर
6.	राजनांदगांव	राजनांदगांव
7.	सरगुजा	अंबिकापुर.

Bilaspur, the 25th April 2003

No. 1938/III-10-8/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958, the High Court of Chhattisgarh directs that the Courts of the District Judges, established by the State Government under clause (a) of Section 5 of the said Act for all the Civil Districts, shall sit at the headquarters shown against it in the table below, and shall be deemed to have been so directed with effect from the appointed date i.e., 1-11-2000 :—

TABLE

Serial No. (1)	Court of District Judge (2)	Places of Sitting (3)
1.	Bastar	Jagdalpur
2.	Bilaspur	Bilaspur
3.	Durg	Durg
4.	Raigarh	Raigarh
5.	Raipur	Raipur
6.	Rajnandgaon	Rajnandgaon
7.	Surguja	Ambikapur

By order of the Hon'ble High Court,
B. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2003

क्रमांक 1940/तीन-10-8/2000.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम,1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 के खण्ड (क) के अधीन राज्य शासन द्वारा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश, द्वितीय वर्ग के न्यायालय उनके समक्ष, नीचे दी गई सारणी के अनुसार, विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे और इस प्रकार की बैठक नियत दिनांक 1-11-2000 से प्रवृत्त माने जाएंगे :—

सारणी

अनु. क्र.	सिविल जिले के नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		बैठने के स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने के स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने के स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	6
		2. कांकेर	1	2. दंतेवाड़ा	1	2. भानुप्रतापपुर	1
				3. कांकेर	2	3. दंतेवाड़ा	1
				4. सुकमा	1	4. कांकेर	1
						5. कोण्डागांव	1
						6. नारायणपुर	1
2.	बिलासपुर	1. बिलासपुर	8	1. बिलासपुर	5	1. बिलासपुर	9
		2. जांजगीर	1	2. जांजगीर	2	2. जांजगीर	2
		3. कोरबा	1	3. कटघोरा	1	3. कटघोरा	1
		4. मुंगेली	1	4. कोरबा	2	4. कोरबा	1
		5. सक्ती	1	5. मुंगेली	1	5. पेण्ड्रा-रोड	1
				6. पेण्ड्रा-रोड	1	6. सक्ती	1
				7. सक्ती	1		
3.	दुर्ग	1. दुर्ग	6	1. दुर्ग	3	1. दुर्ग	9
		2. बेमेतरा	1	2. बेमेतरा	1	2. बेमेतरा	2
		3. बालोद	1	3. बालोद	1	3. बालोद	2
4.	रायगढ़	1. रायगढ़	2	1. रायगढ़	2	1. रायगढ़	4
		2. जशपुरनगर	1	2. जशपुरनगर	2	2. धर्मजयगढ़	1
						3. घरघोड़ा	1
						4. जशपुरनगर	1
						5. सारंगढ़	1
5.	रायपुर	1. रायपुर	8	1. रायपुर	6	1. रायपुर	12
		2. बलौदा बाजार	2	2. बलौदा बाजार	1	2. बलौदा बाजार	1
		3. धमतरी	1	3. धमतरी	2	3. धमतरी	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	रायपुर	4. महासमुंद	2	4. गरियाबंद	1	4. गरियाबंद	1
				5. महासमुंद	3	5. महासमुन्द	2
						6. सरायपाली	1
6.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	3
		2. खैरागढ़	1	2. अम्बागढ़चौकी	1	2. डोंगरगढ़	1
				3. डोंगरगढ़	1	3. कवर्धा	1
				4. कवर्धा	3	4. खैरागढ़	1
				5. खैरागढ़	1		
7.	सरगुजा (अंबिकापुर)	1. अंबिकापुर	2	1. अंबिकापुर	2	1. अंबिकापुर	5
		2. बैकुण्ठपुर	1	2. बैकुण्ठपुर	2	2. बैकुण्ठपुर	1
		3. मनेन्द्रगढ़	1	3. मनेन्द्रगढ़	1	3. मनेन्द्रगढ़	1
		4. सूरजपुर	1	4. रामानुजगंज	1	4. सूरजपुर	1
				5. सूरजपुर	1		

Bilaspur, the 25th April 2003

No. 1940/III-10-8/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958, the High Court directs that the Courts of Additional District Judges, Civil Judges Class-I and Civil Judges Class-II, as established by the State Government under clause (b) of Section 5 of the said Act, shall sit at the places specified against them in the table below, and shall be deemed to have been so directed with effect from the appointed date i.e., 1-11-2000 :—

TABLE

S. No.	Name of Civil Districts	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges Class-I		Court of Civil Judges Class-II	
		Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	6
		2. Kanker	1	2. Dantewada	1	2. Bhanupratappur.	1
				3. Kanker	2	3. Dantewada	1
				4. Sukma	1	4. Kanker	1
						5. Kondagaon	1
						6. Narayanpur	1
2.	Bilaspur	1. Bilaspur	8	1. Bilaspur	5	1. Bilaspur	9
		2. Janjgir	1	2. Janjgir	2	2. Janjgir	2
		3. Korba	1	3. Katghora	1	3. Katghora	1
		4. Mungeli	1	4. Korba	2	4. Korba	1
		5. Sakti	1	5. Mungeli	1	5. Pendra Road	1
				6. Pendra Road	1	6. Sakti	1
				7. Sakti	1		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	Durg	1. Durg 2. Bemetara 3. Balod	6 1 1	1. Durg 2. Bemetara 3. Balod	3 1 1	1. Durg 2. Bemetara 3. Balod	9 2 2	
4.	Raigarh	1. Raigarh 2. Jashpurnagar	2 1	1. Raigarh 2. Jashpurnagar	2 2	1. Raigarh 2. Dharamjaigarh 3. Gharghora 4. Jashpurnagar 5. Sarangarh	4 1 1 1 1	
5.	Raipur	1. Raipur 2. Balodabazar 3. Dhamtari 4. Mahasamund	8 2 1 2	1. Raipur 2. Balodabazar 3. Dhamtari 4. Gariyaband 5. Mahasamund	6 1 2 1 3	1. Raipur 2. Balodabazar 3. Dhamtari 4. Gariyaband 5. Mahasamund 6. Saraipali	12 1 2 1 2 1	
6.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon 2. Khairagarh	2 1	1. Rajnandgaon 2. Ambagarh-Chowki. 3. Dongargarh 4. Kawardha 5. Khairagarh	2 1 1 3 1	1. Rajnandgaon 2. Dongargarh 3. Kawardha 4. Khairagarh	3 1 1 1	
7.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur 2. Baikunthpur 3. Manendragarh 4. Surajpur	2 1 1 1	1. Ambikapur 2. Baikunthpur 3. Manendragarh 4. Ramanujganj 5. Surajpur.	2 2 1 1 1	1. Ambikapur 2. Baikunthpur 3. Manendragarh 4. Surajpur	5 1 1 1	

By order of the Hon'ble High court,
B. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2003

क्रमांक 1942/तीन-10-8/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1971) की धारा 9 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निर्देश देता है कि नीचे दी हुई सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय साधारणतः उसके सामने स्तंभ क्रमांक (3) में विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर अपनी बैठक करेंगे, और इस प्रकार की बैठक करने के लिए नियत दिनांक 1-11-2000 से निर्देशित माने जाएंगे :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	सत्र न्यायालय (2)	बैठने का सामान्य स्थान/स्थानों (3)
1.	बस्तर	1. बस्तर (जगदलपुर) 2. उत्तर बस्तर कांकेर
2.	बिलासपुर	1. बिलासपुर 2. मुंगेली 3. पेण्ड्रा रोड 4. जांजगीर 5. कोरबा 6. सक्ती
3.	दुर्ग	1. दुर्ग 2. बालोद 3. बेमेतरा
4.	रायगढ़	1. रायगढ़ 2. जशपुर
5.	रायपुर	1. रायपुर 2. बलौदा बाजार 3. धमतरी 4. महासमुंद
6.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव 2. खैरागढ़ 3. कवर्धा (कबीर धाम)
7.	सरगुजा	1. सरगुजा (अंबिकापुर) 2. रामानुजगंज 3. सूरजपुर 4. बैकुंठपुर 5. मनेन्द्रगढ़

Bilaspur, the 25th April 2003

No. 1942/III-10-8/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (6) of Section [illegible] the Code of Criminal Procedure, 1973, the High Court of Chhattisgarh is pleased to order that ordinarily the [illegible] of Session, named in Column No. (2) of the table below, shall hold its sitting at the place or places, specified aga[illegible]t in Column No. (3) and shall be deemed to have been so ordered with effect from the appointed date i.e., 1-1[illegible]000 :—

TABLE

Serial No. (1)	Court of Sessions (2)	Ordinarily Place/Places of Sitting (3)
1.	Bastar	(i) Bastar (Jagdalpur) (ii) Kanker (North Bastar)
2.	Bilaspur	(i) Bilaspur (ii) Mungeli (iii) Pendra Road (iv) Janjgir (v) Korba (vi) Sakti
3.	Durg	(i) Durg (ii) Balod (iii) Bemetara
4.	Raigarh	(i) Raigarh (ii) Jashpur
5.	Raipur	(i) Raipur (ii) Baloda Bazar (iii) Dhamtari (iv) Mahasamund
6.	Rajnandgaon	(i) Rajnandgaon (ii) Khairagarh (iii) Kawardha (Kabeer Dham)
7.	Surguja	(i) Surguja (Ambikapur) (ii) Ramanujganj (iii) Surajpur (iv) Baikunthpur (v) Manendragarh

By order of the Hon'ble High Court,
B. K. SHRIVASTAVA, Registrar Genral.

बिलासपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2003

क्रमांक 1959/दो-2-27/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री दिलीप भट्ट, कार्यवाहक जिला न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश, बिलासपुर को दिनांक 16-4-2003 से दिनांक 19-4-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15-4-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 20-4-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप भट्ट को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिलीप भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इन्हें 240+11 दिवस के अर्जित अवकाश की पात्रता आती है.

बिलासपुर, दिनांक 7 मई 2003

क्रमांक 2134/दो-2-27/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री दिलीप भट्ट, कार्यवाहक जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को दिनांक 12-5-2003 से दिनांक 14-5-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11-5-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 15-5-2003 एवं 16-5-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप भट्ट को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिलीप भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इन्हें 240+8 दिवस के अर्जित अवकाश की पात्रता आती है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मई 2003

क्रमांक 2195/दो-2-36/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री टी. पी. शर्मा, विशेष न्यायाधीश, दुर्ग को दिनांक 12-5-2003 से दिनांक 14-5-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता हैं. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10-5-2003 एवं 11-5-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 15-5-2003 एवं 16-5-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री टी. पी. शर्मा को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री टी. पी. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इन्हें 240+12 दिवस के अर्जित अवकाश की पात्रता आती है.

बिलासपुर, दिनांक 5 जून 2003

क्रमांक 2456/दो-2-26/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री आर. एस. शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एस. सी./एस. टी. एक्ट), जगदलपुर को दिनांक 16-6-2003 से दिनांक 28-6-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 13 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14-6-2003 व 15-6-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 29-6-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एस. शर्मा को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एस. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इन्हें 232 दिवस के अर्जित अवकाश की पात्रता आती है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
बी. के. श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.

बिलासपुर, दिनांक 4 जुलाई 2003

क्रमांक 2827/तीन-6-8/2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्यांक 2 सन् 1974) की धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री आर. के. बर्मन, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जशपुरनगर, जिला जशपुर को उक्त धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपतः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

Bilaspur, the 4th July 2003

No. 2827/III-6-8/2003.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of Sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers Shri R. K. Burman, Judical Magistrate First Class, Jashpurnagar, District Jashpur to try in a summary way all or any of the offences specified in the said section.

By order of the High Court,
B. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 22 जुलाई 2003

क्रमांक 3126/दो-2-10/2002.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को दिनांक 25-7-2003 से दिनांक 2-8-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 9 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3-8-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार श्रीवास्तव को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 240+6 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2003

क्रमांक 3161/दो-2-28/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री रंगनाथ चन्द्राकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को दिनांक 7-7-2003 से दिनांक 11-7-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6-7-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 12-7-2003 एवं 13-7-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रंगनाथ चन्द्राकर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रंगनाथ चन्द्राकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 236+10 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2003

क्रमांक 3162/II-2-6/2003.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. पी. मिश्रा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट), सूरजपुर, जिला-सरगुजा को दिनांक 8-5-2001 से दिनांक 1-6-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 25 दिन का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5-5-2001 से दिनांक 7-5-2001 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. मिश्रा को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

असाधारण अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन की पात्रता नहीं होगी.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. पी. मिश्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 26 अगस्त 2003

क्रमांक 3597/II-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 12-6-2003 एवं 13-6-2003 को स्वीकृत ग्रीष्मावकाश के अनुक्रम में दिनांक 14-6-2003 से दिनांक 16-6-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर, को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

उपरोक्त अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

उपरोक्त अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 239 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

दिनांक 26 अगस्त 2003

क्रमांक 3599/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 23-6-2003 से दिनांक 2-7-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22-6-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने के पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 227+2=229 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2003

क्रमांक 4054/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 2-9-2003 से दिनांक 3-9-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 2 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 234 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2003

क्रमांक 4056/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 25-8-2003 से दिनांक 27-8-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 236 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2003

क्रमांक 4058/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 11-8-2003 से दिनांक 14-8-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 4 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15-8-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

लघुकृत अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 454 दिवस का अर्ध वेतन अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2003

क्रमांक 4060/दो-2-22/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश, (एस. सी. एस. टी. एक्ट) राजनांदगांव को दिनांक 21-8-2003 से दिनांक 26-8-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मैत्रेयी माथुर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मैत्रेयी माथुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो वे अपने पद पर कार्यरत रहतीं.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 30 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2003

क्रमांक 4461/दो-2-36/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री टी. पी. शर्मा, विशेष, न्यायाधीश, दुर्ग को दिनांक 25-8-2003 से दिनांक 30-8-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24-8-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 31-8-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री टी. पी. शर्मा को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री टी. पी. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 240+9 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2003

क्रमांक 4463/दो-2-22/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष, न्यायाधीश (एस. सी. एस. टी. एक्ट) राजनांदगांव को दिनांक 2-9-2003 से दिनांक 12-9-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 11 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13/14-9-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मैत्रेयी माथुर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मैत्रेयी माथुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो वे अपने पद पर कार्यरत रहतीं.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 19 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2003

क्रमांक 4465/दो-2-10/2002.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को दिनांक 26-9-2003 से दिनांक 4-10-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 9 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25-9-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 5-10-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार श्रीवास्तव को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उप्रोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 237 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

क्रमांक 4610/दो-2-28/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री रंगनाथ चन्द्राकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को दिनांक 16-10-2003 से दिनांक 21-10-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री रंगनाथ चन्द्राकर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रंगनाथ चन्द्राकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 240 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
बी. के. श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.